



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022026-270062
CG-DL-E-11022026-270062

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2026/माघ 22, 1947

No. 682]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026/MAGHA 22, 1947

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2026

का.आ. 716(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17 क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) स्कीम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम की विरचना करती है, अर्थातः -

- (1) संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.** - इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2026 है।
- (2)** यह स्कीम 1 अगस्त, 2022 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

(3) यह स्कीम उन अधिकारियों पर लागू होगी, जो 1 अगस्त, 2022 को, या उसके पश्चात् से निगम या कंपनी में सेवा में थे:

परंतु वे अधिकारी, जिनके त्यागपत्र स्वीकार किए जा चुके थे या जिनकी सेवाएं 1 अगस्त, 2022 और इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख की अवधि के दौरान समाप्त की जा चुकी थी, इस स्कीम के अधीन पुनरीक्षण के कारण बकाया राशि के लिए पात्र नहीं होंगे।

2. साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) स्कीम, 1975 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" के रूप में कहा गया है), पैरा 3 में, खंड (ढक) और (ढख) में, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात:-

‘(ढक) निम्नलिखित के संबंध में "पुनरीक्षित निबंधन", -

(i) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक के सिवाए अन्य अधिकारियों से अठारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं;

(ii) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक से पंद्रहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं; और

(iii) कार्यकारी निदेशक से सत्रहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं, जो 21 दिसंबर, 2023 से प्रभावी हैं;

(ढख) निम्नलिखित के संबंध में "वेतन के पुनरीक्षित पैमाने"-

(i) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक के सिवाए अन्य अधिकारियों से अठारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधित वेतनमान अभिप्रेत है;

(ii) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक से पंद्रहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधित वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं;

(iii) कार्यकारी निदेशक से 21 दिसंबर, 2023 से प्रभावी सत्रहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं;

3. उक्त स्कीम में, पैरा 4 में, उप-पैरा (12) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(13) 1 अगस्त, 2022 से, प्रत्येक अधिकारी का वेतन और भत्ते इस स्कीम से संलग्न "अठारहवीं" अनुसूची के अनुसार होंगे:

परंतु अधिकारी यह चयन कर सकेगा कि उसका मूल वेतन "अठारहवीं अनुसूची के निबंधनानुसार किसी ऐसी तारीख से नियत किया जाए, जो 1 अगस्त, 2022 से पूर्व न हो और साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में प्रारंभ की तारीख के पश्चात् की न हो, उस दशा में वह ऐसे चयन की सूचना लिखित रूप में तीस दिन की अवधि के भीतर निगम या कंपनी को देगा:

परंतु कि यह और कि ऐसी चुनी गई तारीख से पहले की अवधि के लिए उस अधिकारी को बकाया का संदाय नहीं किया जाएगा।"

(14) ऐसे प्रत्येक अधिकारी को, जिसका मूल वेतन साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2026 की अठारहवीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार निर्धारित किया गया है, इसे संशोधित वेतनमान में निर्धारण की तारीख से 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए या उसकी नियुक्ति की तारीख से या जिस तारीख से वह स्कीम के उपबंधों द्वारा अभिशप्त होने का विकल्प

देता है, जो भी उत्तरवर्ती हो, अठारहवीं अनुसूची और उस पर लागू सोलहवीं अनुसूची के बीच मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, महंगाई भत्ता और अन्य बातों (भविष्य निधि या नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी का अंशदान घटाने के बाद) के अंतर का भुगतान किया जाएगा।

परंतु –

(क) ऐसा अधिकारी, जो 1 अगस्त, 2022 के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया, उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए इस उप पैरा में यथाविनिर्दिष्ट, राशि के अंतर, यदि कोई है, का भुगतान करना होगा जो इस स्कीम से उद्भूत हुआ है।

(ख) ऐसे अधिकारी के मामले में, जिसकी सेवा में रहते हुए 1 अगस्त, 2022 को या उसके पश्चात् मृत्यु हो गई थी, ऐसी राशि का अंतर, उसकी मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए उस व्यक्ति को संदेय किया जाएगा जिसे उसकी भविष्य निधि संदत्त की गई थी या की जाती है और उपदान की राशि का अंतर, यदि कोई है, जो इस स्कीम से उद्भूत हुआ है, उस व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा जिसे उसकी उपदान की राशि संदेय की गई थी या की जाएगी:

स्पष्टीकरण.- इस उप पैरा के प्रयोजनार्थ “अन्य भत्ते” पद से किसी अधिकारी की यथा अनुज्ञेय मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पर्वतीय स्टेशन भत्ता, परिवहन भत्ता, पारादीप पत्तन भत्ता और नियत वैयक्तिक भत्ता अभिप्रेत है।”

4. उक्त स्कीम में, पैरा 9 में, स्पष्टीकरण में, खंड (iii) में, उप-खंड (खड) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(खच) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक से भिन्न अधिकारियों के मामले में, 1 अगस्त, 2022 को आरंभ होने वाली अवधि के लिए जो अठारहवीं अनुसूची के अंतर्गत उपबंधित की गई है।

5. उक्त स्कीम में, अनुच्छेद 9क, स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परंतु यथा स्थिति 1 अगस्त, 2022 से निगम या कंपनी द्वारा, नई पेंशन स्कीम के लिए निधि में अंशदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का चौदह प्रतिशत होगा।”

6. उक्त स्कीम में, सत्रहवीं अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

“अठारहवीं अनुसूची

[पैरा 3 (ढक) और (ढख) और पैरा 4 (13) देखें]

I. वेतनमान (मूल वेतन):

(1) स्केल VII

251125-6755(2)-264635-7240(1)-271875-7920(1)-279795-8215(4)-312655

(2) स्केल VI

224105-6755(8)-278145

(3) स्केल V

200235-5785(3)-217590-6515(6)-256680

- (4) स्केल IV
165525-5785(9)-217590
- (5) स्केल III
135135-4050(1)-139185-4390(6)-165525-5785(4)-188665
- (6) स्केल II
110835-4050(7)-139185-4390(6)-165525
- (7) स्केल I
82485-4050(14)-139185-4390(4)-156745

II. मूल वेतन का नियतन और अवरूद्ध चरण:

सारणी-क
(मूलवेतन का नियतन)

(अंक रुपए में)

स्केल I		स्केल II		स्केल III		स्केल IV		स्केल V		स्केल VI		स्केल VII	
विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
50925	82485	68425	110835	83425	135135	102185	165525	123605	200235	138335	224105	155015	251125
53425	86535	70925	114885	85925	139185	105755	171310	127175	206020	142505	230860	159185	257880
55925	90585	73425	118935	88635	143575	109325	177095	130745	211805	146675	237615	163355	264635
58425	94635	75925	122985	91345	147965	112895	182880	134315	217590	150845	244370	167825	271875
60925	98685	78425	127035	94055	152355	116465	188665	138335	224105	155015	251125	172715	279795
63425	102735	80925	131085	96765	156745	120035	194450	142355	230620	159185	257880	177785	288010
65925	106785	83425	135135	99475	161135	123605	200235	146375	237135	163355	264635	182855	296225
68425	110835	85925	139185	102185	165525	127175	206020	150395	243650	167525	271390	187925	304440
70925	114885	88635	143575	105755	171310	130745	211805	154415	250165	171695	278145	192995	312655
73425	118935	91345	147965	109325	177095	134315	217590	158435	256680				
75925	122985	94055	152355	112895	182880								
78425	127035	96765	156745	116465	188665								
80925	131085	99475	161135										
83425	135135	102185	165525										
85925	139185												
88635	143575												
91345	147965												
94055	152355												
96765	156745												

सारणी - ख
[पैरा 8क देखें]
मूल वेतन का नियतन और अवरूद्ध चरण

(आंकड़े रुपए में)

स्केल I		स्केल II		स्केल III	
विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
99475	161135	104895	169915	120035	194450
102185	165525	107605	174305	123605	200235
104895	169915	110315	178695		
		113025	183085		
		115735	187475		

टिप्पण: ऊपर सारणियों में “विद्यमान मूल वेतन” शब्द से सोलहवीं अनुसूची के अनुसार यथा लागू मूल वेतन अभिप्रेत है।

III. **महंगाई भत्ता:** (1) अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का स्केल निम्नानुसार अवधारित किया जाएगा:-

सूचकांक: औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार: श्रृंखला 1960=100 में सूचकांक संख्या 8456

महंगाई भत्ते की दर:- 8456 प्वाइंट्स के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार अंक की वृद्धि के लिए महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के 0.06 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण:- महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि या कमी के लिए किया जाएगा।

(2) औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960) में 8456 अंकों से ऊपर त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् “चालू औसत आंकड़े” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) पर 8456-8460-8464-8468 आदि की श्रृंखला में प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि के लिए, संदेय महंगाई भत्ते का उध्वगामी पुनरीक्षण होगा और चालू औसत अंक से ऊपर उस श्रृंखला के, जिसके प्रतिनिर्देश में अंतिम पूर्ववर्ती तिमाही के लिए महंगाई भत्ता संदत्त किया गया है, सूचकांक में, चार अंक की कमी होती है तो महंगाई भत्ते का अधोगामी पुनरीक्षण होगा। अधोगामी पुनरीक्षण पर, यदि ऐसा चालू औसत अंक ऊपर श्रृंखला कोई अंक है तो संदेय ऊपर महंगाई भत्ता उस चालू औसत अंक के समरूप होगा और यदि ऐसा चालू औसत अंक ऊपर श्रृंखला में का कोई अंक नहीं है तो संदेय महंगाई भत्ता ऊपर श्रृंखला के उस अंक के समरूप होगा जो चालू औसत अंक से ठीक पहले है।

(3) इंडियन लेबर जर्नल या भारत का राजपत्र, इनमें जो भी प्रकाशन पूर्वतर उपलब्ध हों, में यथाप्रकाशित औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960) के अंतिम आंकड़े, वह सूचकांक होगा जिसे महंगाई भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

(4) किसी भी विशिष्ट तिमाही के लिए चालू औसत अंक में परिवर्तनों के अनुरूप महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण तिमाही के अंत के पश्चात् केवल दूसरे उत्तरवर्ती मास से प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरण:- इस मद के प्रयोजन के लिए, “तिमाही” से मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के मास के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि से अभिप्रेत है।

IV. मकान किराया भत्ता:-(1) 1 अगस्त, 2022 से, अधिकारी को संदेय मकान किराया भत्ता नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट संदेय होगा:-

सारणी

क्रम संख्या	तैनाती का स्थान	प्रति मास दर
(1)	(2)	(3)
1.	मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव।	अधिकतम 13,000/- रुपए के अध्यधीन वेतन का दस प्रतिशत प्रति मास।
2.	बारह लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर सिवाय क्रम संख्या 1 में उल्लिखित शहर, और गोवा राज्य में सभी शहर।	अधिकतम 11,000/- रुपए के अध्यधीन वेतन का आठ प्रतिशत प्रति मास।
3.	अन्य सभी स्थान।	10,500/- रुपए के अध्यधीन वेतन का सात प्रतिशत प्रति मास।

- टिप्पण:** (1) इस मद के प्रयोजनों के लिए, जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे।
- (2) शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी शामिल होंगी।
- (3) “वेतन” से मूल वेतन और पैरा 8क के अनुसार अवरूद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।

(2) ऐसे अधिकारी जिन्हें निगम या कंपनी द्वारा आवास स्थान आवंटित किया गया है, ऐसे स्थान के लिए ऐसी समुचित अनुज्ञप्ति शुल्क का संदाय करेंगे, जिसे समय-समय पर निगम या कंपनी द्वारा विनिश्चित किया जाए और वे इस मद की उपमद (1) के निबंधनों के अनुसार मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

V. नगर प्रतिकर भत्ता: 1 अगस्त, 2022 से, अधिकारी को संदेय नगर प्रतिकर भत्ता नीचे सारिणी में विनिर्दिष्ट संदेय होगा: -

सारणी

क्रम संख्या	तैनाती का स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	मेट्रो शहर: मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव।	अधिकतम 3,300/- रुपए के अध्यधीन वेतन का तीन प्रतिशत प्रति मास।
2.	क वर्ग: बारह लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर सिवाय क्रम संख्या 1 में उल्लिखित शहर, और गोवा राज्य में सभी शहर।	अधिकतम 3,100/- रुपए अध्यधीन वेतन का 2.5 प्रतिशत प्रति मास।
3.	ख वर्ग: पांच लाख और उससे ऊपर और बारह लाख तक की जनसंख्या वाले शहर, बारह लाख से कम जनसंख्या वाली राज्य राजधानियाँ, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर।	अधिकतम 2,400/- रुपए के अध्यधीन वेतन का दो प्रतिशत प्रति मास।
4	ग वर्ग: अन्य सभी शहर।	कुछ नहीं।

- टिप्पण:** (1) इस मद के प्रयोजनार्थ, जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे।
- (2) शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी शामिल होंगी।
- (3) “वेतन” से मूल वेतन और पैरा 8क के अनुसार अवरूद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।

VI. पर्वतीय स्थान भत्ता: साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में आरंभ की तारीख के पश्चात् मास के पहले दिन से, अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्टेशन भत्ता नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट संदेय होगा :-

सारणी

क्रम संख्या	तैनाती के स्थान की ऊंचाई (औसत समुद्र तल से ऊपर)	दर
(1)	(2)	(3)
1.	1500 मीटर और उससे अधिक।	अधिकतम 2055/- रुपए प्रति मास के अध्यधीन मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत की दर से।
2.	1000 मीटर से अधिक किंतु 1500 मीटर से कम, मर्करा और वे स्थान जिन्हें केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से "पर्वतीय स्टेशन" घोषित किया गया है।	अधिकतम 1650/- रुपए प्रति मास अध्यधीन मूल वेतन का दो प्रतिशत की दर से।
3.	कम से कम 750 मीटर और जो 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों से घिरा हुआ हो और जहाँ केवल उन्हीं के माध्यम से पहुँचा जा सकता हो।	अधिकतम 1650/- रुपए प्रति मास के अध्यधीन मूल वेतन का दो प्रतिशत की दर से।

टिप्पण: “वेतन” से मूल वेतन और पैरा 8क के प्रदान किए गए वेतन वृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।

VII. किट भत्ता: साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन से, प्रत्येक अधिकारी को उसका स्थानांतरण किसी ऐसे पर्वतीय स्थान पर, पर्वतीय स्थान भत्ता संदेय है, किए जाने पर, उसे 14,800/- रूपए किट भत्ता संदेय किया जाएगा:

परंतु यह कि कोई भी किट भत्ता संदेय नहीं होगा, यदि उस अधिकारी ने ऐसा भत्ता पहले किसी भी समय लिया हो।

VIII. नियत वैयक्तिक भत्ता: 1 अगस्त, 2022 से, अधिकारियों को संदेय नियत वैयक्तिक भत्ता नीचे सारिणी में विनिर्दिष्ट संदेय होगा: -

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का 1 नवम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों का वेतन मान	संशोधित नियत वैयक्तिक भत्ता (रुपए):
(1)	(2)	(3)
1.	स्केल VII	8215
2.	स्केल VI	6755
3.	स्केल V	6515
4.	स्केल IV	5785
5.	स्केल III	5785

6.	स्केल II	4390
7.	स्केल I	4390

टिप्पणः संशोधित नियत वैयक्तिक भत्ता मकान किराया भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी और अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजन के लिए मूल वेतन माना जाएगा।

IX. परिवहन भत्ता: 1 अगस्त, 2022 से, अधिकारी, जिसे किसी भी वाहन स्कीम के अधीन सवारी भत्ता / परिवहन भत्ता नहीं दिया जाता हो या जिसे सवारी / परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती हो, उसे प्रति मास 3,300/- रुपए परिवहन भत्ता संदेय होगा।

X. पारादीप पत्तन भत्ता: साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में आरंभ की तारीख के पश्चात् के मास के पहले दिन या नियुक्ति की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से पारादीप पोर्ट में कंपनी के कार्यालय में तैनात प्रत्येक स्थायी अधिकारी को जब तक वह उस कार्यालय में तैनात हो, प्रति मास 3300/- रुपए का भत्ता संदेय होगा। यह भत्ता किसी भी प्रयोजनार्थ मूल वेतन नहीं माना जाएगा।”

[फा. सं. एम – 16014/01/2023 - बीमा I]

आशीष माधवराव मोरे, संयुक्त सचिव

टिप्पणः साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतन मानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण), स्कीम, 1975, संख्यांक का.आ. 521(अ), तारीख 17 सितम्बर, 1975 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी और का.आ. 5227(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2024, द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

स्पष्टीकारक ज्ञापन: साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतन मानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण), स्कीम, 1975 को स्कीम में विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने पर निगम या कंपनी के किसी भी अधिकारी के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2026

S.O. 716(E).—In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975, namely. —

1. (1) **Short title, commencement and application.** —This scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2026.

(2) This scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2022.

(3) This scheme shall be applicable to those officers, who were in the service of the Corporation or Company as on, or after, the 1st day of August, 2022:

Provided that the officers, whose resignations had been accepted or whose services had been terminated during the period from the 1st day of August, 2022 and the date of publication of this scheme, shall not be eligible for the arrears on account of revision under this scheme.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 3, for clauses (na) and (nb), the following clauses shall be substituted, namely:-

(na) "revised terms" in relation to the, -

- (i) Officers, other than the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director, means the scales of pay and allowances as specified in the Eighteenth Schedule;
- (ii) Chairman-cum-Managing Director, means the scales of pay and allowances as specified in the Fifteenth Schedule; and
- (iii) Executive Director, means the scales of pay and allowances as specified in the Seventeenth Schedule with effect from 21st December, 2023;

(nb) "revised scales of pay" in relation to the, -

- (i) Officers, other than the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director, means the revised scales of pay as specified in the Eighteenth Schedule;
- (ii) Chairman-cum-Managing Director, means the revised scales of pay and allowances as specified in the Fifteenth Schedule;
- (iii) Executive Director, means the scales of pay and allowances as specified in the Seventeen Schedule with effect from 21st December, 2023.

3. In the said Scheme, in paragraph 4, after sub-paragraph (12), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely. —

“(13) With effect from the 1st day of August, 2022, the pay and allowances of every officer shall be in accordance with the Eighteenth Schedule appended to this Scheme:

Provided that the officer may choose that his basic pay may be fixed in terms of the Eighteenth Schedule with effect from any date not earlier than the 1st day of August, 2022 and not later than the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2026, in which case he shall intimate such choice in writing to the Corporation or Company within a period of thirty days:

Provided further that no arrears for the period prior to the date so chosen shall be payable to such officer.

(14) Every officer whose basic salary is fixed in accordance with the provisions of Eighteenth Schedule of this scheme shall be paid, from the date of fixation in the revised scales of pay, for the period commencing from the 1st day of August, 2022 or the date of his appointment, or the date from which he opts to be governed by the provisions of General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2026, whichever is later, the difference of Basic Salary, Personal Pay, if any, Dearness Allowance and other allowances (after deducting the employee's compulsory contribution to the Provident Fund or New Pension Scheme), between the terms of Eighteenth Schedule and Sixteenth Schedule applicable to him:

Provided that –

(a) an officer who had retired from service after the 1st day of August, 2022 shall be paid the difference in the amount, for the period upto the date of his retirement along with the difference in the amount of gratuity, if any, arising out of this scheme;

(b) in the case of an officer who had died whilst in service on or after the 1st day of August, 2022, the difference in the amount, for the period upto the date of his death shall be paid to the person to whom his Provident Fund was paid or is to be paid and the difference in the amount of gratuity, if any, arising out of this scheme shall be paid to the person to whom his gratuity was paid or is to be paid:

Explanation. - For the purposes of this sub-paragraph, the expression “other allowances” means House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, Hill Station Allowance, Transport Allowance, Paradeep Port Allowance, and Fixed Personal Allowance as admissible to an officer.”.

4. In the said Scheme, in paragraph 9, in the *Explanation*, in clause (iii), after sub-clause (be), the following sub-clause shall be inserted, namely: -

“(bf) in the case of officers other than the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director, for the period commencing on the 1st day of August, 2022, as provided under Eighteenth Schedule.”.

5. In the said Scheme, in paragraph 9A, before the *Explanation*, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that with effect from the 01st day of August, 2022, contribution by the Corporation or the Company, as the case may be, to the Fund for the New Pension Scheme, shall be fourteen per cent. of the Basic salary plus Dearness Allowance.”.

6. In the said Scheme, after the Seventeenth Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely: -

“EIGHTEENTH SCHEDULE

[See paragraph 3, (na) and (nb) and paragraph 4, (13)]

I. Pay Scales (Basic Pay):

- (1) Scale VII
251125-6755(2)-264635-7240(1)-271875-7920(1)-279795-8215(4)-312655
- (2) Scale VI
224105-6755(8)-278145
- (3) Scale V
200235-5785(3)-217590-6515(6)-256680
- (4) Scale IV
165525-5785(9)-217590
- (5) Scale III
135135-4050(1)-139185-4390(6)-165525-5785(4)-188665
- (6) Scale II
110835-4050(7)-139185-4390(6)-165525
- (7) Scale I
82485-4050(14)-139185-4390(4)-156745

II. Fixation of the Basic Pay and Stagnation Stages:

TABLE – A
(Fixation of the Basic Pay)

(Figures in Rupees)

Scale I		Scale II		Scale III		Scale IV		Scale V		Scale VI		Scale VII	
Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay
50925	82485	68425	110835	83425	135135	102185	165525	123605	200235	138335	224105	155015	251125
53425	86535	70925	114885	85925	139185	105755	171310	127175	206020	142505	230860	159185	257880
55925	90585	73425	118935	88635	143575	109325	177095	130745	211805	146675	237615	163355	264635
58425	94635	75925	122985	91345	147965	112895	182880	134315	217590	150845	244370	167825	271875
60925	98685	78425	127035	94055	152355	116465	188665	138335	224105	155015	251125	172715	279795
63425	102735	80925	131085	96765	156745	120035	194450	142355	230620	159185	257880	177785	288010
65925	106785	83425	135135	99475	161135	123605	200235	146375	237135	163355	264635	182855	296225
68425	110835	85925	139185	102185	165525	127175	206020	150395	243650	167525	271390	187925	304440
70925	114885	88635	143575	105755	171310	130745	211805	154415	250165	171695	278145	192995	312655
73425	118935	91345	147965	109325	177095	134315	217590	158435	256680				

Scale I		Scale II		Scale III		Scale IV		Scale V		Scale VI		Scale VII	
Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay
75925	122985	94055	152355	112895	182880								
78425	127035	96765	156745	116465	188665								
80925	131085	99475	161135										
83425	135135	102185	165525										
85925	139185												
88635	143575												
91345	147965												
94055	152355												
96765	156745												

TABLE – B
[see Paragraph 8A]
Fixation of Basic Pay – Stagnation Stages

(Figures in Rupees)

Scale I		Scale II		Scale III	
Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay
99475	161135	104895	169915	120035	194450
102185	165525	107605	174305	123605	200235
104895	169915	110315	178695		
		113025	183085		
		115735	187475		

Note: The term “Existing Basic Pay” in the above Tables means the basic pay as applicable in accordance with the Sixteenth Schedule.

III. Dearness Allowance. — (1) The scale of Dearness Allowance applicable to the officers shall be determined as under: -

Index: All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers
Base: Index number 8456 in the series 1960 = 100

Rate of dearness allowance: - For every four points in the quarterly average over 8456 points, the Dearness Allowance shall be calculated at the rate of 0.06 per cent. of Basic Pay.

Revision of dearness allowance: - Revision of dearness allowance shall be made on quarterly basis for every four points rise or fall.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 1960) above 8456 points in the sequence 8456-8460-8464-8468 and so on and there shall be downward revision of the dearness allowance payable, if the current average figure falls by four points below the index

figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure, if such current average figure is a figure in the above sequence and if such current average figure is not a figure in the above sequence, the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence immediately preceding the current average figure.

(3) The final figures of All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 1960) as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purposes of calculation of dearness allowance.

(4) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Explanation. - For the purposes of this item, "quarter" shall mean a period of three months ending on the last day of the month of March, June, September or December.

IV. House Rent Allowance. — (1) With effect from the 1st day of August, 2022, the House Rent Allowance payable to the officers shall be as specified in the Table below:

TABLE

Serial number	Place of posting	Rate per month
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon.	Ten per cent. of pay subject to maximum of Rs.13,000/- per month.
2.	Cities with population exceeding 12 lacs, except the cities mentioned at serial number 1, and all cities in the State of Goa.	Eight per cent. of pay subject to maximum of Rs.11,000/- per month.
3.	All other places.	Seven per cent. of pay subject to maximum of Rs.10,500/- per month.

Note 1: For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest census report.

Note 2: Cities shall include their urban agglomeration.

Note 3: "Pay" means Basic Pay and stagnation increments as provided in paragraph 8A.

(2) Officers who are allotted residential accommodation by the Corporation or Company shall pay for such accommodation, appropriate license fee as may be decided by the Corporation or the Company, as the case may be, from time to time and shall not be entitled to House Rent Allowance.

V. City Compensatory Allowance. — With effect from the 1st day of August, 2022, the City Compensatory Allowance payable to officers shall be as specified in the Table below:

TABLE

Serial number	Place of posting	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Metro Cities: Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon.	Three per cent. of pay subject to a maximum of Rs.3,300/- per month
2.	A Class: Cities with population exceeding 12 lacs, except cities mentioned in serial number 1, and all cities in the State of Goa.	2.5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.3,100/- per month
3.	B Class: Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Panchkula, Pondicherry, Port Blair.	Two per cent. of pay subject to a maximum of Rs.2,400/- per month
4.	C Class: All other cities.	Nil

Note 1: For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest census report.

Note 2: Cities shall include their urban agglomeration.

Note 3: "Pay" means Basic Pay and stagnation increments as provided in paragraph 8A.

VI. Hill Station Allowance. — With effect from the 1st day of the month following the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2026, Hill Station Allowance payable to officers shall be as specified in the Table below:

TABLE

Serial number	Height of Place of posting (Above Mean Sea Level)	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	1500 meters and over.	2.5% per cent. of Pay subject to maximum of Rs.2,055/- per month.
2.	1000 meters and over but less than 1500 meters, Mercara and places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central or State Governments for their employees.	Two per cent. of Pay subject to maximum of Rs.1,650/- per month.
3.	Not less than 750 meters and surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 meters and over.	Two per cent. of Pay subject to a maximum of Rs.1,650/- per month.

Note: "Pay" means Basic Pay and stagnation increments as provided in paragraph 8A.

VII. Kit Allowance. — With effect from the 1st day of the month following the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2026, every officer on his transfer to any of the hill stations at which Hill Station Allowance is payable, shall be paid a Kit Allowance of Rs. 14,800/-:

Provided that no Kit Allowance shall be payable, if such officer has drawn such allowance at any time earlier.

VIII. Fixed Personal Allowance. — With effect from the 1st day of August, 2022, the Fixed Personal Allowance payable to officers shall be as specified in the Table below:

TABLE

Serial number	Officers in the scale of pay of, as on the 1 st November, 1993	Revised Fixed Personal Allowance (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Scale VII	8215
2.	Scale VI	6755
3.	Scale V	6515
4.	Scale IV	5785
5.	Scale III	5785
6.	Scale II	4390
7.	Scale I	4390

Note: The revised Fixed Personal Allowance shall reckon as Basic Pay for the purpose of House Rent Allowance, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Earned Leave.

IX. Transport Allowance. — With effect from the 1st day of August, 2022, every Officer, who is not in receipt of any Conveyance Allowance or Transport Allowance or reimbursement of Conveyance or Transport Expenses under any of the Conveyance Schemes, shall be paid Transport Allowance of Rs. 3,300/- per month.

X. Paradeep Port Allowance. — With effect from the 1st day of the month following the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2026 or the date of appointment, whichever is later, every confirmed officer posted in the office of the Company in Paradeep port shall be paid an allowance of Rs. 440/- per month so long as he is posted in that office. This allowance shall not be treated as Basic Pay for any purpose.”.

[F. No. M-16014/01/2023 Ins.I]

ASHISH MADHAORAO MORE, Jt. Secy.

Note: - The General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 was published in the gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.521 (E), dated the 17th September, 1975 and was last amended *vide* number S.O 5257 (E), dated the 6th December, 2024.

Explanatory Memorandum

The General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 is amended from the date specified in the scheme. It is certified that no officer of the corporation or company is likely to be affected adversely by giving the retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2026

का.आ. 717(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (विकास कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) स्कीम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना -** (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (विकास कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2026 है।
- (2) यह स्कीम 1 अगस्त, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।
- (3) यह स्कीम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी, जो कि 1 अगस्त, 2022 को, या उसके पश्चात, से कंपनी में विकास अधिकारी काडर में पूर्णकालिक कर्मचारी थे:

परंतु ऐसा विकास अधिकारी, जिसका 1 अगस्त, 2022 से, की अवधि के दौरान राजपत्र में इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या जिनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई थी, इस स्कीम के अधीन पुनरीक्षण के कारण बकाया के लिए पात्र नहीं होगा।

2. साधारण बीमा (विकास कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" कहा गया है), के पैरा 3 में,-
- (क) खंड (2) में, "अनुसूची ज" शब्द और अक्षर के स्थान पर "अनुसूची ट" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।
- (ख) खंड (17) में, उप-खंड (ग) में, मद (vi) में, चौथे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

परन्तु यह और कि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक के निष्पादन वर्ष के लिए, सारणी ड में विनिर्दिष्ट लागत अनुपात की निर्धारित सीमाओं में एक प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी:

3. उक्त स्कीम के पैरा 7क, 7ख और 7ग के स्थान पर, निम्न पैरा रखे जाएंगे, अर्थात:-
- ‘7क. **वेतनमान, नियतन की पद्धति और बकायों का संदेय.**— (1) 1 अगस्त, 2022 से ही, प्रत्येक विकास अधिकारी का मूल वेतन और भत्ते अनुसूची ट के अनुरूप होंगे।
- (2) प्रत्येक विकास अधिकारी जो 1 अगस्त, 2022 को सेवारत था या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया था उसका मूल वेतन 1 अगस्त, 2022 से या नियुक्ति की तारीख पर, जो भी पश्चातवर्ती हो, अनुसूची ट की मद 2 के अनुसार नियत किया जाएगा।
- (3) ऐसे प्रत्येक विकास अधिकारी को, जिसका मूल वेतन अनुसूची ट की मद 2 के अनुसार नियत किया गया है, 1 अप्रैल, 2023 से या उसकी नियुक्ति की तारीख से ही, जो भी पश्चातवर्ती, प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए अनुसूची ट के अधीन संदेय सकल परिलब्धियों और तकनीकी अर्हताओं के लिए संदेय भत्ते और अनुसूची ज के अधीन संदत्त की गई राशि का अंतर, भविष्य निधि में विकास अधिकारी के अनिवार्य अभिदाय की कटौती के बाद संदत्त किया जाएगा।

7ख. साम्यपूर्ण अनुतोष पैरा .-7क में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसा विकास अधिकारी जो कि 1 अगस्त, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान किसी भी समय सेवा में था उसे उस सेवा की अवधि के लिए साम्यपूर्ण अनुतोष का संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण .- इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "साम्यपूर्ण अनुतोष" से, यथास्थिति, अनुग्रहपूर्वक संदाय, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के पारिणामिक समायोजन सहित क्रमशः अनुसूची ट और अनुसूची ज के अधीन संगणित सकल परिलब्धियों और तकनीकी अर्हताओं के योग के बीच का अंतर अभिप्रेत है।

परंतु —

(क) 1 अगस्त, 2022 के पश्चात सेवा से सेवानिवृत्त हुए किसी विकास अधिकारी को, उपर्युक्त उप-अनुच्छेद 7क तथा 7ख में यथा विनिर्दिष्ट रकम के अंतर का भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए किया जाएगा, तथा इस योजना के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली, यदि कोई हो, उपदान की रकम के अंतर का भी भुगतान किया जाएगा।

(ख) ऐसे विकास अधिकारी के मामले में, जिसकी 1 अगस्त, 2022 को या उसके पश्चात सेवा के दौरान मृत्यु हो गई हो, उपर्युक्त उप-अनुच्छेद 7क तथा 7ख में विनिर्दिष्ट रकम के अंतर का भुगतान उसकी मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए उस व्यक्ति को किया जाएगा, जिसे उसका भविष्य निधि भुगतान किया गया था या किया जाना है, तथा इस स्कीम के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली, यदि कोई हो, उपदान की रकम के अंतर का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा, जिसे उसकी उपदान का भुगतान किया गया था या किया जाना है।

7ग. बकाया और साम्यपूर्ण अनुतोष का व्यय में समामेलन.- पैरा 7क और 7ख के अधीन अवधारित बकाया और साम्यपूर्ण अनुतोष का खर्च की अनुबंधित सीमाओं के अधीन रहते हुए, संबंधित कार्य निष्पादन वर्ष के लिए, जिससे ये संबंधित हैं, विकास अधिकारी के व्यय में जोड़ दिया जाएगा और अतिशेष को निष्पादन वर्ष 2025 -2026 के लिए उनकी लागत में ऐसे अनुपात में जोड़ दिया जाएगा जिसका वह साधारण बीमा (विकास कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 30 दिन के भीतर चयन करे।

4. उक्त स्कीम के पैरा 16 में, स्पष्टीकरण में, मद (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

“(viii) अनुसूची ‘ट’ के अनुसार 1 अगस्त, 2022 को आरंभ होने वाली अवधि के लिए।

5. उक्त स्कीम के, अनुच्छेद 16क में, स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित उपबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परंतु यह कि 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी, नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कोष में यथास्थिति, निगम या कंपनी द्वारा किया जाने वाला अंशदान मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता के योग का चौदह प्रतिशत होगा।”

6. उक्त स्कीम के पैरा 21क में, उप-पैरा (3) में, खंड (क) के, मद (ii) में, “नौ सौ पच्चीस रूपए” शब्दों के स्थान पर, “एक हजार पाँच सौ पचास रूपए” शब्द रखे जाएंगे।
7. उक्त स्कीम में, अनुसूची – ज के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-
‘अनुसूची – ट

[पैरा 3, पैरा 7क, पैरा 7ख, पैरा 11, पैरा 11क, पैरा 13, पैरा 15ख, पैरा 16 और पैरा 17 देखें]

1. वेतन मान (मूल वेतन) -

(1) विकास अधिकारी श्रेणी-I

58010-3640(8)-87130-3770(9)-121060-3945(2)-128950-4050(4)-145150 रूपए

(2) विकास अधिकारी श्रेणी-II

39385-2600(3)-47185-2960(4)-59025 रूपए

2. (क) मूल वेतन का नियतन (वेतनमान में) -

प्रक्रम संख्या	विकास अधिकारी श्रेणी-I		विकास अधिकारी श्रेणी-2	
	विद्यमान मूल वेतन (रूपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रूपए)	विद्यमान मूल वेतन (रूपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रूपए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	35815	58010	24315	39385
2.	38060	61650	25920	41985
3.	40305	65290	27525	44585
4.	42550	68930	29130	47185
5.	44795	72570	30955	50145
6.	47040	76210	32780	53105
7.	49285	79850	34605	56065
8.	51530	83490	36430	59025
9.	53775	87130		
10.	56100	90900		
11.	58425	94670		
12.	60750	98440		
13.	63075	102210		
14.	65400	105980		
15.	67725	109750		
16.	70050	113520		
17.	72375	117290		

18.	74700	121060		
19.	77135	125005		
20.	79570	128950		
21.	82070	133000		
22.	84570	137050		
23.	87070	141100		
24.	89570	145150		

(ख) मूल वेतन का नियतन (वृद्धिरुद्ध प्रक्रम में) -

प्रक्रम संख्या	विकास अधिकारी श्रेणी-I		विकास अधिकारी श्रेणी-II	
	विद्यमान मूल वेतन (रुपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रुपए)	विद्यमान मूल वेतन (रुपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रुपए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	92070	149200	38255	61985
2.	94570	153250	40080	64945
3.	97070	157300	41905	67905
4.	99570	161350		

टिप्पण:-

1. “विद्यमान” पद से अनुसूची ज के अनुसार यथा लागू मूल वेतन (जिसके अधीन वेतनरुद्ध प्रक्रम भी है) निर्दिष्ट है।
2. ऐसे विकास अधिकारी का, जिसको स्कीम लागू होती है, मूल वेतन 1 अगस्त, 2022 को संबंधित पुनरीक्षित वेतनमान तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा:

परंतु किसी विकास अधिकारी श्रेणी-I के संबंध में, जिसे पहले से ही 31 जुलाई, 2022 को उनके विद्यमान वेतनमान में एक, दो, तीन या चार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियों का अनुदान किया गया है, पुनरीक्षित वेतनमान में यथास्थिति उनका मूल वेतन पुनरीक्षित वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक तत्स्थानी, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।

परंतु यह भी कि ऐसे विकास अधिकारी श्रेणी-II के संदर्भ में, जिसे पहले से ही 31 जुलाई, 2022 को उनके विद्यमान वेतनमान में एक, दो, तीन या चार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियों का अनुदान किया गया है, पुनरीक्षित वेतनमान में यथास्थिति उनका मूल वेतन पुनरीक्षित वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक तत्स्थानी, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।

3. **महंगाई भत्ता.** - (1) विकास अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते के पैमाने का अवधारण निम्नानुसार किया जाएगा:-

सूचकांक: औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार : श्रृंखला 1960=100 में सूचकांक सं. 8456

महंगाई भत्ते की दर:- 8456 अंकों के ऊपर त्रैमासिक औसत में चार अंक की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के 0.06 प्रतिशत दर से की जाएगी।

महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण:- महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि या कमी के लिए किया जाएगा।

- (2) औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960 आधार) की त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् “चालू औसत अंक” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) 8456 -8460 -8464 -8468 के अनुक्रम में 8456 प्वाइंट से ऊपर और इसी प्रकार प्रत्येक प्वाइंटों की वृद्धि के लिए संदेय महंगाई भत्ते का नीचे की ओर पुनरीक्षण होगा और यदि चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में उस सूचकांक अंक से चार अंक नीचे आ जाता है, जिसके संदर्भ में पिछली पूर्ववर्ती तिमाही के लिए महंगाई भत्ता संदत्त किया गया है, तो संदेय महंगाई भत्ते का अधोगामी पुनरीक्षण होगा। अधोगामी पुनरीक्षण पर, संदेय महंगाई भत्ता उस दशा में चालू औसत अंक के समान होगा, यदि ऐसा चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक है और यदि ऐसा चालू अंक, उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक नहीं है तो संदेय महंगाई भत्ता उपर्युक्त अनुक्रम में चालू औसत अंक के ठीक पूर्ववर्ती अंक के समान होगा।
- (3) इंडियन लेबर जर्नल या भारत का राजपत्र, इनमें जो भी प्रकाशन पूर्वतर उपलब्ध हो, में प्रकाशित औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960) के अंतिम आंकड़े, वह सूचकांक होगा जिसे महंगाई भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा।
- (4) किसी भी विशेष तिमाही के लिए चालू औसत अंक में बदलावों के अनुरूप महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण, उस तिमाही के अंत के बाद केवल दूसरे उत्तरगामी मास से प्रभावी होगा।
स्पष्टीकरण.- इस मद के प्रयोजनों के लिए, “तिमाही” से मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के मास के अंतिम दिन पर समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है।

4. **मकान किराया भत्ता** - (1) 1 अगस्त, 2022 से ऐसे विकास अधिकारियों, जिन्हें कंपनी द्वारा वास सुविधा आवंटित की गई है, से भिन्न विकास अधिकारियों के लिए मकान किराया भत्ता उनकी तैनाती के स्थान पर निर्भर रहते हुए नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दर से संदेय होगा:-

सारणी

क्रम संख्या	तैनाती का स्थान	प्रति मास दर
(1)	(2)	(3)
1.	मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव नगर।	अधिकतम 13,000/-रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का दस प्रतिशत प्रति मास।
2.	12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर सिवाय क्रम संख्या 1 में उल्लिखित नगर, और गोवा राज्य में सभी नगर।	अधिकतम 11,000/-रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का आठ प्रतिशत प्रति मास।

3.	अन्य सभी स्थान।	अधिकतम 10,500/-रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का सात प्रतिशत प्रति मास।
----	-----------------	---------------------------------------------------------------------

टिप्पण 1: इस मद के प्रयोजनों के लिए, जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे।

टिप्पण 2: शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी सम्मिलित होंगी।

टिप्पण 3: “वेतन” से मूल वेतन और पैरा 13 के उप-पैरा (3) और (4) के उपबंधित वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।

(2) ऐसे विकास अधिकारी जिन्हें कंपनी द्वारा निवास स्थान आवंटित किया गया है, ऐसे स्थान के लिए ऐसी समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे, जिसे समय-समय पर कंपनी द्वारा विनिश्चित किया जाए और वे मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

5. **नगर प्रतिकर भत्ता - 1** अगस्त, 2022 से विकास अधिकारी को संदेय नगर प्रतिकर भत्ता नीचे सारणी में उपदर्शित अनुसार संदेय होगा:

सारणी

क्रम संख्या	तैनाती का स्थान	प्रति मास दर
(1)	(2)	(3)
1.	मेट्रो शहर: मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव	अधिकतम 2,800/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का तीन प्रतिशत प्रति मास
2.	क वर्ग: बारह लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर सिवाय क्रम संख्या 1 में उल्लिखित शहर, और गोवा राज्य में सभी नगर	अधिकतम 2,600/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5 प्रतिशत प्रति मास
3.	ख वर्ग: पांच लाख और उससे ऊपर और बारह लाख तक की जनसंख्या वाले नगर, बारह लाख तक की जनसंख्या वाली राज्य राजधानियाँ, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर	अधिकतम 2,300/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का दो प्रतिशत प्रति मास
4.	ग वर्ग: अन्य सभी नगर	कुछ नहीं

टिप्पण 1: इस मद के प्रयोजनों के लिए, जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे।

टिप्पण 2: शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी सम्मिलित होंगी।

टिप्पण 3: “वेतन” से मूल वेतन और पैरा 13 के उप-पैरा (3) और (4) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।

6. **पर्वतीय स्थान भत्ता.-** साधारण बीमा (विकास कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में प्रकाशन तारीख के पश्चात के मास के पहले दिन से प्रवृत्त होने के साथ, विकास अधिकारी को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट होगा:-

सारणी

क्रम संख्या	तैनाती के स्थान की ऊंचाई (औसत समुद्र तल से ऊपर)	प्रति मास दर
(1)	(2)	(3)
1.	1500 मीटर और ऊपर।	अधिकतम 1650/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5 प्रतिशत प्रति मास
2.	1000 मीटर से अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम, मर्करा और वे स्थान जिन्हें केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से "पर्वतीय स्थान" घोषित किया गया है।	अधिकतम 1305/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का दो प्रतिशत प्रति मास
3.	750 मीटर से अनधिक और जो 1000 मीटर और उससे ऊपर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों से घिरा हुआ हो और जहाँ केवल उन्हीं के माध्यम से पहुँचा जा सकता हो।	अधिकतम 1305/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का दो प्रतिशत प्रति मास

टिप्पण: “वेतन” से मूल वेतन और पैरा 13 के उप-पैरा (3) और (4) में उपबंधित वेतन वृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।

7. **तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता.**— (1) कोई स्थायी विकास अधिकारी जो नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित परीक्षा में अर्हित होता है या जो अर्हता प्राप्त कर चुका है उसे परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख या 1 अगस्त, 2022 से इनमें से, जो भी पश्चातवर्ती हो, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित तकनीकी अर्हताओं के लिए संदेय भत्ता प्रभावी होगा, अर्थात:-

सारणी

क्रम संख्या	परीक्षा	तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता (प्रति मास)
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय बीमा संस्थान या चार्टर्ड बीमा संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर:- (i) अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति (ii) उप सदस्यता (iii) अध्येतावृत्ति	915/- रुपए 2,485/- रुपए 4,245/- रुपए
2.	बीमांकक संस्थान:- प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर	915/- रुपए
3.	चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या लागत और लेखाकार संकर्म संस्थान: निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर:- (i) इंटरमीडिएट परीक्षा (ii) अंतिम समूह क या समूह ख (iii) अंतिम समूह क और समूह ख	1,780/- रुपए 3,045/- रुपए 4,245/- रुपए:

परंतु उसे तकनीकी अर्हता के लिए एक से अधिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

(2) तकनीकी अर्हता के लिए भत्ते का अनुदान संबंधित विकास अधिकारी की ज्येष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा।

(3) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित तकनीकी अर्हता के लिए या उसके किसी भाग के लिए पुनरीक्षित भत्ते की गणना किसी भत्ता या किसी सेवा या सेवान्त फायदे के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।

8. **नियत वैयक्तिक भत्ता** - 1 अगस्त, 2022 से प्रवृत्त, विकास अधिकारी को कम्प्यूटरीकरण के कारण संदेय नियत वैयक्तिक भत्ता नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट पुनरीक्षित होगा, अर्थात:-

सारणी

क्रम संख्या	विकास विकास अधिकारी का (1 नवम्बर, 1993 को) वेतनमान	संशोधित नियत वैयक्तिक भत्ता
(1)	(2)	(3)
1.	श्रेणी-I	4,050/-रुपए
2.	श्रेणी-II	2,960/-रुपए

टिप्पण: संशोधित नियत वैयक्तिक भत्ता मकान किराया भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान और अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजन के लिए मूल वेतन के रूप में संगणना की जाएगी।

9. **पारादीप पत्तन भत्ता**.- राजपत्र में साधारण बीमा (विकास कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2026 के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् के मास के पहले दिन या नियुक्ति की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती, से प्रभाव के साथ, पारादीप पत्तन में कंपनी के कार्यालय में तैनात प्रत्येक स्थायी विकास अधिकारी को प्रति मास 440/-रुपए का भत्ता संदेय होगा जब तक वे उस कार्यालय में तैनात हों। यह भत्ता किसी भी प्रयोजन के लिए मूल वेतन नहीं समझा जाएगा।”

[फा. सं. एम-16014/01/2023-बीमा-I]

आशीष माधवराव मोरे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: साधारण बीमा (विकास कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण), स्कीम, 1976 भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) अधिसूचना सं. का.आ.327(अ) तारीख 29 अप्रैल, 1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. 4897 (अ) तारीख 14 अक्तूबर, 2022 को किया गया है।

स्पष्टीकारक ज्ञापन: साधारण बीमा (विकास कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण), स्कीम, 1976 को स्कीम में विनिर्दिष्ट तारीखों से संशोधित किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने पर कंपनी के किसी भी अधिकारी के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2026

S.O. 717(E).—In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976, namely. —

1. (1) **Short title, commencement and application.** — This scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2026.

(2) This scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2022.

(3) This scheme shall be applicable to all employees who were whole time employees in Development Officer cadre of the Company as on, or after, the 1st day of August, 2022:

Provided that the Development Officer, whose resignation had been accepted or whose service had been terminated during the period from the 1st day of August, 2022 till the date of publication of this scheme in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of the revision under this scheme.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 3, -

(a) in clause (2), for the word and letter “Schedule - J”, the word and letter “Schedule - K” shall be substituted;

(b) in clause (17), in sub-clause (c), in item (vi), after the fourth proviso, the following proviso will be inserted, namely:-

“Provided also that for the performance year from the 1st April, 2025 to 31st March, 2026 relaxation of one per cent. shall be allowed in the stipulated limits of cost ratio specified in Table -E.”.

3. In the said Scheme, for paragraphs 7A, 7B and 7C, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

“7A. Scales of pay, method of fixation and payment of arrears.- (1) On and from the 1st day of August, 2022, the basic pay and allowances of every Development Officer shall be in accordance with Schedule-K.

(2) The basic pay of every Development Officer who was in service on the 1st day of August, 2022 or was appointed thereafter shall be fixed in accordance with item II of Schedule- K, with effect from the 1st day of August, 2022 or the date of appointment, whichever is later.

(3) Every Development Officer whose basic pay is fixed in accordance with item II of Schedule- K, shall be paid for the period commencing on and from the 1st day of April, 2023 or the date of his appointment, whichever is later, the difference of gross emoluments and allowance for technical qualification payable under Schedule-K

and that paid under Schedule-J after deducting the Development Officer's compulsory contribution to Provident Fund.

- 7B. **Equitable relief.** - Notwithstanding anything contained in paragraph 7A, the Development Officer who was in service at any time during the period from the 1st day of August, 2022 to the 31st day of March, 2023 shall be paid equitable relief for the period of such service.

Explanation. - For the purposes of this paragraph the term "equitable relief" means the difference between the aggregate of gross emoluments and allowance for technical qualifications computed under Schedule-K and Schedule-J, respectively, with consequent adjustment of *ex-gratia* payment, Provident Fund, Pension, Gratuity and encashment of Earned Leave, as the case may be:

Provided that –

(a) a Development officer who had retired from service after the 1st day of August, 2022 shall be paid the difference in the amount, as specified in paragraphs 7A and 7B above, for the period upto the date of his retirement along with the difference in the amount of gratuity, if any, arising out of this scheme;

(b) in the case of a Development officer who had died whilst in service on or after the 1st day of August, 2022, the difference in the amount as specified in paragraphs 7A and 7B above, for the period upto the date of his death shall be paid to the person to whom his Provident Fund was paid or is to be paid and the difference in the amount of gratuity, if any, arising out of this scheme shall be paid to the person to whom his gratuity was paid or is to be paid:

- 7C. **Absorption of arrears and equitable relief in cost.**- The arrears and equitable relief determined under paragraphs 7A and 7B shall be added to the cost of Development Officer for the respective performance year to which they relate, subject to the stipulated limits of cost and the balance shall be added to his cost for the performance year 2025-2026 in such proportion as he may choose within ninety days of the publication of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2026 in the Official Gazette.”.

4. In the said Scheme, in paragraph 16, in the *Explanation*, after item (vii), the following item shall be inserted, namely: -

“(viii) for the period commencing on the 1st day of August, 2022, as per Schedule- K.”.

5. In the said Scheme, in paragraph 16A, before the explanation, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that with effect from the 1st day of August, 2022, contribution by the Corporation or the Company, as the case may be, to the Fund for the New Pension Scheme, shall be fourteen per cent. of the Basic salary plus Dearness Allowance.”.

6. In the said Scheme, in paragraph 21A, in sub-paragraph (3), in clause (A), in item (ii), for the words “nine hundred and twenty-five rupees”, the words “one thousand five hundred and fifty rupees” shall be substituted.

7. In the said Scheme, after Schedule - J, the following Schedule shall be inserted, namely: -

“SCHEDULE – K

[See paragraphs 3, 7A, 7B, 11, 11A, 13, 15B, 16 and 17]

I. Scales of Pay (Basic Pay) –

(1) Development Officer Grade I

Rs. 58010-3640(8)-87130-3770(9)-121060-3945(2)-128950-4050(4)-145150

(2) Development Officer Grade II

Rs. 39385-2600(3)-47185-2960(4)-59025

II. (A) Fixation of Basic Pay (in the scale of pay) -

Stage number	Development Officer Grade –I		Development Officer Grade -II	
	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	35815	58010	24315	39385
2.	38060	61650	25920	41985
3.	40305	65290	27525	44585
4.	42550	68930	29130	47185
5.	44795	72570	30955	50145
6.	47040	76210	32780	53105
7.	49285	79850	34605	56065
8.	51530	83490	36430	59025
9.	53775	87130		
10.	56100	90900		
11.	58425	94670		
12.	60750	98440		
13.	63075	102210		
14.	65400	105980		
15.	67725	109750		
16.	70050	113520		
17.	72375	117290		
18.	74700	121060		
19.	77135	125005		
20.	79570	128950		
21.	82070	133000		
22.	84570	137050		
23.	87070	141100		
24.	89570	145150		

(B) Fixation of Basic Pay (at Stagnation Stages) -

Stage Number	Development Officer Grade – I		Development Officer Grade – II	
	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	92070	149200	38255	61985
2.	94570	153250	40080	64945
3.	97070	157300	41905	67905
4.	99570	161350		

Note 1: The term “Existing” refers to the Basic Pay (including stagnation stages) as applicable in accordance with Schedule- J.

Note 2: The Basic Pay of the Development Officer, to whom this Scheme applies, shall be fixed as on the 1st day of August, 2022 at the corresponding stage in the respective revised scale of pay:

Provided that in respect of Development Officers Grade -I, who have already been granted stagnations increments, one, two, three or four in the existing scale of pay, as on the 31st day of July, 2022, their Basic Pay in the revised scale of pay shall be fixed at the corresponding first, second, third or fourth stages above the maximum of the revised scale of pay, as the case may be:

Provided also that in respect of Development Officers Grade- II, who have already been granted stagnations increments, one, two or three in the existing scale of pay, as on the 31st day of July, 2022 their Basic Pay in the revised scale of pay shall be fixed at the corresponding first, second or third stages above the maximum of the revised scale of pay, as the case may be.

III. Dearness Allowance. — (1) The scale of dearness allowance applicable to the Development Officers shall be determined as under: -

Index: All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers
Base: Index number 8456 in the series 1960 = 100

Rate of dearness allowance: - For every four points in the quarterly average over 8456 points, the dearness allowance shall be calculated at the rate of 0.06 per cent. of Basic Pay.

Revision of dearness allowance: - Revision of dearness allowance shall be made on quarterly basis for every four points rise or fall.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the current average figure) of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 1960) above 8456 points in the sequence 8456-8460-8464-8468 and so on and there shall be downward revision of the dearness allowance payable, if the current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable, shall correspond to the current average figure, if such current average figure is a figure in the above sequence and if such current average figure is not a figure in the above sequence, the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence immediately preceding the current average figure.

(3) The final figures of All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 1960) as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purposes of calculation of dearness allowance.

(4) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Explanation. - For the purposes of this item, “quarter” shall mean a period of three months ending on the last day of the month of March, June, September or December.

IV. House Rent Allowance. — (1) With effect from the 1st day of August, 2022, the House Rent Allowance to Development Officers, except those who have been allotted residential accommodation by the Company shall be at the rates specified in the Table below depending on the place of posting:

TABLE

Serial number	Place of posting	Rate per month
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon.	Ten per cent. of pay subject to maximum of Rs.13,000/- per month.
2.	Cities with population exceeding twelve lacs, except the cities mentioned at serial number 1, and all cities in the State of Goa.	Eight per cent. of pay subject to maximum of Rs.11,000/- per month.
3.	All other places.	Seven per cent. of pay subject to maximum of Rs.10,500/- per month.

Note 1: For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest census report.

Note 2: Cities shall include their urban agglomeration

Note 3: “Pay” means Basic Pay and stagnation increments as provided in sub-paragraphs (3) and (4) of paragraph 13.

(2) The Development Officer, who is allotted residential accommodation by the Company, shall pay for such accommodation appropriate license fee as may be decided by the Company from time to time and shall not be entitled to any house rent allowance.

V. City Compensatory Allowance. — With effect from the 1st day of August, 2022, the city compensatory allowance payable to the Development Officer shall be as specified in the Table below:

TABLE

Serial number	Place of posting	Rate per month
(1)	(2)	(3)
1.	Metro Cities: Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon.	Three per cent. of pay subject to a maximum of Rs.2,800/- per month.
2.	A Class: Cities with population exceeding twelve lacs, except cities mentioned in serial number 1, and all cities in the State of Goa.	2.5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.2,600/- per month.
3.	B Class: Cities with population of five lacs and above but not exceeding twelve lacs, State capitals with population not exceeding twelve lacs, Chandigarh, Mohali, Panchkula, Pondicherry, Port Blair.	Two per cent. of pay subject to a maximum of Rs.2,300/- per month.
4.	C Class: All other cities.	Nil

Note 1: For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest census report.

Note 2: Cities shall include their urban agglomeration.

Note 3: "Pay" means Basic Pay and stagnation increments as provided under sub-paragraphs (3) and (4) of paragraph 13.

VI. Hill Station Allowance. — With effect from the 1st day of the month following the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2026, the Hill Station Allowance payable to the Development Officer shall be as specified in the Table below: -

TABLE

Serial number	Height of place of posting (Above Mean Sea Level)	Rate per month
(1)	(2)	(3)
1.	1500 meters and over.	2.5 per cent. of the Basic Pay subject to maximum of Rs.1,650/- per month.
2.	1000 meters and over but less than 1500 meters, Mercara and places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central Government or as the case may be, the State Government for their employees.	Two per cent. of the Basic Pay subject to maximum of Rs.1,305/- per month.
3.	Not less than 750 meters and surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 meters and over.	Two per cent. of Basic Pay subject to a maximum of Rs.1,305/- per month.

Note: "Pay" means Basic Pay and stagnation increments as provided in sub-paragraphs (3) and (4) of paragraph 13.

VII. Allowance for Technical Qualification. — (1) A confirmed Development Officer who qualifies or has qualified in an examination mentioned in column (2) of the Table below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination or the 1st day of August, 2022, whichever is later, the allowance for technical qualifications mentioned in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

Serial number	Examination	Allowance for technical qualification (per month)
(1)	(2)	(3)
1	Insurance Institute of India or Chartered Insurance Institute: On completion of:- (i) Licentiate (ii) Associateship (iii) Fellowship	Rs.915/- Rs.2,485/- Rs.4,245/-
2	Institute of Actuaries:- On passing each subject	Rs.915/-
3	Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accountant: On completion of:- (i) Intermediate Examination (ii) Final Group 'A' or Group 'B' (iii) Final Group 'A' and Group 'B'	Rs.1,780/- Rs.3,045/- Rs.4,245/-

Provided that not more than one allowance for technical qualification shall be permissible to him.

(2) The grant of allowance for technical qualification shall not affect the seniority of the Development Officer concerned.

(3) The revised allowance for technical qualification as mentioned in column (3) of the said Table, or any part thereof, shall not count for the purpose of any allowance or for any service or terminal benefit.

VIII. Fixed Personal Allowance. — With effect from the 1st day of August, 2022, the fixed personal allowance payable to the Development Officers on account of computerisation shall stand revised as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Serial number	Development Officers in the Scale of Pay (as on the 1 st November, 1993)	Revised Fixed Personal Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Grade I	4050
2.	Grade II	2960

Note: The revised Fixed Personal Allowance as shown in the Table above shall reckon as Basic Pay for the purpose of House Rent Allowance, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Earned Leave.

IX. Paradeep Port Allowance. — With effect from the 1st day of the month following the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2026 or the date of appointment, whichever is later, every confirmed Development Officer posted in the office of the Company in Paradeep port shall be paid an allowance of Rs. 440/- per month so long as he is posted in that office. This allowance shall not be treated as Basic Pay for any purpose.”

[F. No. M-16014/01/2023 Ins.I]

ASHISH MADHAORAO MORE, Jt. Secy.

Note: - The General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 327 (E), dated the 29th April, 1976 and was last amended vide number S.O. 4897(E), dated the 14th October, 2022.

Explanatory Memorandum

The General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 is amended from the date specified in the scheme. It is certified that no officer of the company is likely to be affected adversely by giving the retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2026

का.आ. 718(अ).—केंद्रीय सरकार साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्न स्कीम की विरचना करती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.** - (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 है।
- (2) इस स्कीम को 1 अगस्त, 2022 से प्रवृत्त समझा जाएगा।
- (3) यह स्कीम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 अगस्त, 2022 को, या उसके पश्चात्, निगम या कंपनी के पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द संवर्गों में पूर्णकालिक सेवा में थे:

परंतु वे कर्मचारी, जिनके त्यागपत्र 1 अगस्त, 2022 और इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख तक स्वीकार किए जा चुके हों या जिनकी सेवाएँ इस दौरान समाप्त कर दी गई थी, इस स्कीम के अधीन पुनरीक्षण के लेखे बकाया के लिए पात्र नहीं होंगे।

- (4) इस स्कीम में किसी बात के होते हुए भी कोई कर्मचारी इस स्कीम के प्रकाशन से पहले वह जिस समयोपरि भत्ते के लिए पात्र था, वह उससे अधिक का पात्र नहीं होगा।
2. साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" कहा गया है), पैरा 3 में, खंड (चज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'(चज) "तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमानों" से बारहवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान अभिप्रेत है;

'(चज) "तृतीय सुव्यवस्थित निबंधनों" से बारहवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं;'

3. उक्त स्कीम में, पैरा 4 में, उप-पैरा (19), स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(20) 1 अगस्त, 2022 से, प्रत्येक कर्मचारी के वेतन और भत्ते तृतीय सुव्यवस्थित निबंधनों के अनुसार होंगे। उस तारीख को सेवा में प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन और उस तारीख के पश्चात् किंतु साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में आरंभ की तारीख से पूर्व नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन पैरा 6ज में दिए गए तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान के अनुसार होगा।

- (21) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को, जिसका मूल वेतन साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के पैरा 6ज के उपबंधों के अनुसार चौथा सुव्यवस्थित वेतनमान में नियत किया गया

है, चौथा सुव्यवस्थित में नियतन की तारीख से, 1 अगस्त, 2022 या उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए या उस तारीख से, जिससे उसने इस स्कीम के उपबंधों द्वारा शासित होने का विकल्प लिया है, इनमें से जो पश्चातवर्ती हो, मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों में (कर्मचारी का भविष्य निधि में अनिवार्य अंशदान की कटौती के बाद) " चौथा व्यवस्थित निबंधनों" और "तृतीय सुव्यवस्थित निबंधनों" जो उस पर लागू हो, के बीच का अंतर संदेय किया जाएगा:

परंतु –

- (क) ऐसा कर्मचारी, जो 1 अगस्त, 2022 के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया, उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए राशि के अंतर को उपदान की राशि के अंतर, यदि कोई है, जो इस स्कीम से उद्भूत हुआ है, के साथ संदेय किया जाएगा;
- (ख) ऐसे कर्मचारी के मामले में, जिसकी सेवा में रहते हुए 1 अगस्त, 2022 को या उसके पश्चात् मृत्यु हो गई थी, राशि का अंतर, उसकी मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए उस व्यक्ति को संदेय किया जाएगा जिसे उसकी भविष्य निधि संदत्त की गई थी या की जाएगी और उपदान की राशि का अंतर, यदि कोई है, जो इस स्कीम से उद्भूत हुआ है, उस व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा जिसे उसकी उपदान की राशि संदेय की गई थी या की जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो 1 अगस्त, 2022 को या उसके पश्चात् पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द संश्रेणी से अधिकारी संश्रेणी में प्रोन्नत हुआ है या उसे विकास अधिकारी के रूप में संपरिवर्तित कर दिया गया है, रकम का अंतर (उपदान रकम के अंतर को छोड़कर) अधिकारी के रूप में उसकी प्रोन्नति या विकास अधिकारी के रूप में संपरिवर्तन की तारीख तक, तृतीय सुव्यवस्थित निबंधनों में उसके मूल वेतन के सैद्धांतिक नियतन के आधार पर संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए “अन्य भत्ते” पद से किसी कर्मचारी की यथा अनुज्ञेय मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता, कृत्यकारी भत्ता, पर्वतीय स्थान भत्ता, स्नातक भत्ता, तकनीकी अर्हता भत्ता, परिवहन भत्ता, पारादीप पत्तन भत्ता और नियत वैयक्तिक भत्ता अभिप्रेत है।”

4. उक्त स्कीम में, पैरा 6झ के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“6ज. चौथा सुव्यवस्थित वेतनमान में मूल वेतन और भत्तों का नियतन. - (1) 1 अगस्त, 2022 को सेवारत तथा साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के आधिकारिक राजपत्र में आरंभ की तारीख को या उसके पश्चात् सेवा में बने रहने वाले प्रत्येक कर्मचारी का वेतनमान और अन्य भत्ते तृतीय सुव्यवस्थित निबंधनों के अनुसार इस प्रकार होंगे कि वे निम्नलिखित तारीखों से पहले के नहीं हों:-

- (i) पर्वतीय स्थान भत्ता, किट भत्ता, संपरीक्षा सहायकों के लिए कृत्यकारी भत्ता और पारादीप पत्तन भत्ता के लिए साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में आरंभ की तारीख से पश्चातवर्ती मास की पहली तारीख; और

(ii) मूल वेतन और अन्य भत्तों के लिए 1 अगस्त, 2022.

(2) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के मामले में जिसे यह स्कीम लागू होती है, उसका वेतनमान और अन्य भत्ते चौथा सुव्यवस्थित निबंधनों के अनुसार ऐसी तारीख से होंगे जो उप पैरा (1) में उल्लिखित तारीख या नियुक्ति की तारीख, इन में से जो भी पश्चातवर्ती हो, से पहले नहीं हो।

(3) उप-पैरा (1) और उप-पैरा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई कर्मचारी यह विकल्प ले सकेगा कि उसका वेतनमान और अन्य भत्ते बारहवीं अनुसूची की मद I की यथास्थिति सारणी क या सारणी ख के अनुसार उप पैरा (1) में उल्लिखित तारीखों से या उसके पश्चात् किसी तारीख से जो कि साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में आरंभ की तारीख या उससे पूर्व, नियत किए जाएँ, जिसके लिए वह लिखित में अपने विकल्प से, यथास्थिति, निगम या कंपनी को तीस दिन की अवधि के भीतर सूचित करेगा:

परंतु ऐसे कर्मचारी को 1 अगस्त, 2022 से ऐसी चयन की गई तारीख तक की अवधि के लिए कोई बकाया संदेय नहीं होगा:

परंतु यह और कि 1 अगस्त, 2022 से साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में आरंभ की तारीख तक के बकाया की संगणना करते समय यदि भविष्य निधि या नई पेंशन योजना की कटौती के बाद तृतीय सुव्यवस्थित कुल मासिक परिलब्धियों और भविष्य निधि की कटौती के बाद चौथा सुव्यवस्थित कुल मासिक परिलब्धियों के बीच का शुद्ध अंतर ऋणात्मक है तो उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।"

5. उक्त स्कीम में, पैरा 11 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(viii) 1 अगस्त, 2022 को आरंभ होने वाली अवधि के लिए, चौथा सुव्यवस्थित निबंधनों को निर्दिष्ट करते हुए संगणित किया जाएगा।”

6. उक्त स्कीम में, पैराग्राफ 11क, स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात:-

“परंतु यह कि 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी होकर, निगम या कंपनी, जैसा कि मामला हो, द्वारा नए पेंशन योजना के निधि में योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ता का चौदह प्रतिशत होगा”

7. उक्त स्कीम में, ग्याहरवीं अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

**“बारहवीं अनुसूची
[पैरा 3 (चछ) और (चज) देखें]**

I. चौथा सुव्यवस्थित वेतनमान :

(क) पर्यवेक्षकीय और लिपिकीय कर्मचारीवृन्द

- (1) वरिष्ठ सहायक
50815-3640(4)-65375-4050(15)-126125 रुपये
- (2) आशुलिपिक
50815-3640(4)-65375-4050(15)-126125 रुपये
- (3) सहायक, टंकक, टेलीफोन ऑपरेटर, टेलेक्स ऑपरेटर, स्वागतकर्ता, पंच कार्ड ऑपरेटर, एकक अभिलेख मशीन ऑपरेटर, काम्पटिस्ट और अन्य समतुल्य पद
36290-2115(1)-38405-2310(2)-43025-2600(5)-56025-3005(2)-62035-3660(3)-73015-3800(2)-80615-4050(5)-100865 रुपये
- (4) अभिलेख लिपिक
33670-1460(2)-36590-1565(5)-44415-1670(1)-46085-1875(2)-49835-2065(3)-56030-2300(5)-67530-2560(9)-90570 रुपये

(ख) अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द

- (1) चालक
33670-1460(2)-36590-1515(14)-57800-1670(2)-61140-1880(9)-78060 रुपये
- (2) अन्य अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द
29320-1200(5)-35320-1275(8)-45520-1515(1)-47035-1570(2)-50175-1880(9)-67095 रुपये

मूल वेतन और वृद्धिरुद्ध चरणों का नियतन विनिर्दिष्ट सारणियों के अनुसार होगा, अर्थात:-

सारणी – क
मूल वेतन का नियतन

(अंक रुपए में)

वरिष्ठ सहायक या आशुलिपिक		सहायक		अभिलेख लिपिक		चालक		अन्य अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द	
विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
31370	50815	22405	36290	20785	33670	20785	33670	18100	29320
33615	54455	23710	38405	21685	35130	21685	35130	18840	30520
35860	58095	25135	40715	22585	36590	22585	36590	19580	31720
38105	61735	26560	43025	23550	38155	23520	38105	20320	32920
40350	65375	28165	45625	24515	39720	24455	39620	21060	34120
42850	69425	29770	48225	25480	41285	25390	41135	21800	35320
45350	73475	31375	50825	26445	42850	26325	42650	22585	36595
47850	77525	32980	53425	27410	44415	27260	44165	23370	37870
50350	81575	34585	56025	28440	46085	28195	45680	24155	39145
52850	85625	36440	59030	29595	47960	29130	47195	24940	40420
55350	89675	38295	62035	30750	49835	30065	48710	25725	41695
57850	93725	40555	65695	32025	51900	31000	50225	26510	42970
60350	97775	42815	69355	33300	53965	31935	51740	27295	44245
62850	101825	45075	73015	34575	56030	32870	53255	28080	45520
65350	105875	47420	76815	35995	58330	33805	54770	29015	47035
67850	109925	49765	80615	37415	60630	34740	56285	29985	48605
70350	113975	52265	84665	38835	62930	35675	57800	30955	50175
72850	118025	54765	88715	40255	65230	36705	59470	32115	52055
75350	122075	57265	92765	41675	67530	37735	61140	33275	53935
77850	126125	59765	96815	43255	70090	38895	63020	34435	55815
		62265	100865	44835	72650	40055	64900	35595	57695
				46415	75210	41215	66780	36755	59575
				47995	77770	42375	68660	37915	61455
				49575	80330	43535	70540	39075	63335
				51155	82890	44695	72420	40235	65215
				52735	85450	45855	74300	41395	67095
				54315	88010	47015	76180		
				55895	90570	48175	78060		

सारणी - ख
मूल वेतन - वृद्धिरुद्ध प्रक्रमों का नियतन
[पैरा 7, उप-पैरा (2) देखें]

(अंक रुपए में)

वरिष्ठ सहायक या आशुलिपिक		सहायक	
विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
80350	130175	64765	104915
82850	134225	67265	108965
85350	138275	69765	113015
87850	142325	72265	117065
90350	146375	74765	121115
92850	150425	77265	125165
		79765	129215

टिप्पण 1: 1 अगस्त, 2022 को सेवा में प्रत्येक कर्मचारी, जो साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में आरंभ की तारीख के पश्चात् सेवा में निरंतर बना रहता है, का मूल वेतन 1 अगस्त, 2022 से या उसके विकल्प की तारीख से, इनमें जो पश्चातवर्ती हो, उस पर लागू तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।

टिप्पण 2: 1 अगस्त, 2022 के पश्चात् नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी, जो साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में आरंभ की तारीख के पश्चात् सेवा में निरंतर बना रहता है, उसकी नियुक्ति की तारीख से या उसके विकल्प की तारीख से, इनमें जो पश्चातवर्ती हो, उस पर लागू चौथा सुव्यवस्थित वेतनमान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।

टिप्पण 3: ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन जो 1 अगस्त, 2022 को या उसके पश्चात् सेवा में था और साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में आरंभ की तारीख पर या उसके पहले सेवानिवृत्त हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है, 1 अगस्त, 2022 से या उसकी नियुक्ति की तारीख से, इसमें जो पश्चातवर्ती हो, उस पर लागू चौथा वेतनमान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा:

परंतु सहायक के वेतनमान में कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें 31 जुलाई, 2022 तक तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह या सात वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं, उनका मूल वेतन चौथा सुव्यवस्थित वेतनमान में यथादर्शित संबद्ध चौथा सुव्यवस्थित वेतनमान के अधिकतम के तत्स्थानी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह या सात प्रक्रम से ऊपर नियत किया जाएगा:

परंतु और कि वरिष्ठ सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें 31 जुलाई, 2022 तक तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान में एक, दो, तीन, चार, पाँच या छह वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ पहले ही प्रदान की जा चुकी

हैं, उनका मूल वेतन चौथा सुव्यवस्थित वेतनमान में यथा उपदर्शित संबद्ध चौथा सुव्यवस्थित वेतनमान के अधिकतम के तत्स्थानी एक, दो, तीन, चार, पाँच या छह प्रक्रम से ऊपर नियत किया जाएगा।

II. कृत्यकारी भत्ते. - (1) 1 अगस्त, 2022 के प्रभाव से निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने वाले कर्मचारियों को निम्नानुसार कृत्यकारी भत्ते संदत्त किए जाएंगे:

1.	अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द जो अपने नियमित और मुख्य कार्य के रूप में की-होल्डर या बैंक को नकदी ले जाने या लाने के कार्य में लगा हुआ है, जहां किसी कैलेंडर मास में ले जाए जाने वाली नकदी की राशि सामान्यतया 25000/- रुपए या उससे अधिक है,	1650/- रुपए प्रति मास
2.	अन्य अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द जो लिफ्टमैनो, मशीन ऑपरेटरो, प्रधान चपरासियों, जमादारों, दफ्तरियों, ऐसी संयंत्र ऑपरेटरो और भारी यान चालकों के रूप में कार्य कर रहे हैं जिन्हें ये कार्य 1 जनवरी, 2006 से पहले सौंपे गए थे,	165/- रुपए प्रति मास
3.	सहायक (या सहायक की अनुपलब्धता की दशा में वरिष्ठ सहायक) जो अपने नियमित और मुख्य कार्य के रूप में कार्यालय में नकद संबंधी कार्य कर रहा है जहां किसी कैलेंडर मास में रकम का नकद संव्यवहार सामान्यतया 25000/- रुपए या उससे अधिक है,	3450/- रुपए प्रति मास
4.	टैलेक्स ऑपरेटर, पंच कार्ड ऑपरेटर, एकक अभिलेख मशीन ऑपरेटर और काम्पटिस्ट जिन्हें ये कार्य 1 जनवरी, 2006 से पहले सौंपे गए थे	60/- रुपए प्रति मास
5.	अध्यक्ष सह-प्रबन्धक निदेशक, स्केल VII, स्केल VI समतुल्य पदाधिकारियों के आशुलिपिक।	75/- रुपए प्रति मास

(2) साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में आरंभ की तारीख के आगामी मास की 1 तारीख के प्रभाव से संपरीक्षक सहायकों का कार्य करने वाले कर्मचारियों को 2515/- रुपए प्रति मास की दर से कृत्यकारी भत्ते संदत्त किए जाएंगे।

टिप्पण 1: कृत्यकारी भत्ता लेने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या और नाम अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कार्य की मात्रा और प्रशासनिक अपेक्षाओं पर निर्भर होगा।

टिप्पण 2: कोई कर्मचारी एक समय पर केवल एक कृत्यकारी भत्ता लेगा।

टिप्पण 3: छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारी को असाधारण छुट्टी की अवधि से भिन्न उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान कृत्यकारी भत्ते का संदाय किया जाएगा:

यदि वह अपनी छुट्टी की समाप्ति पर उसी हैसियत में अपना कार्य ग्रहण करता है।

टिप्पण 4: कोई कर्मचारी, अधिकार के रूप में कृत्यकारी भत्ता प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट पद के कार्य के आवंटन का हकदार नहीं होगा, जो उस हैसियत या पद से जुड़ा हुआ है।

टिप्पण 5: कोई कर्मचारी, कृत्यकारी भत्ते वाली हैसियत में कार्य करने से इंकार नहीं करेगा या यह शर्त नहीं लगाएगा कि उसे, जहां किसी पदधारी की अनुपस्थिति के कारण या कार्य के अस्थायी दबाव के कारण उसके कार्यालय के प्रधान द्वारा ऐसा कार्य सौंपा गया है इसलिए ऐसा भत्ता संदत्त किया जाए।

टिप्पण 6: कृत्यकारी भत्ते को मूल वेतन के भाग के रूप में नहीं समझा जाएगा और उसे किसी भत्ते के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य सेवा या सेवांत प्रसुविधाओं के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

III. महंगाई भत्ता. - (1) कर्मचारियों को लागू महंगाई भत्ते के परिमाण का निर्धारण निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:-

सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार : श्रृंखला 1960 = 100 में सूचकांक संख्या 8456

महंगाई भत्ते की दर :- 8456 अंकों के अधिक त्रैमासिक औसत में चार अंक की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के 0.06 प्रतिशत दर से की जाएगी।

महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण :- महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि या कमी के लिए किया जाएगा।

- (2) औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960) में 8456 अंकों से ऊर्ध्वगामी त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् “चालू औसत अंक” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) पर 8456-8460-8464-8468 इत्यादि की श्रृंखला में प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि के लिए, संदेय महंगाई भत्ते का ऊर्ध्वगामी पुनरीक्षण होगा और चालू औसत अंक ऊपर उस श्रृंखला के, जिसके प्रतिनिर्देश में अंतिम पूर्ववर्ती तिमाही के लिए महंगाई भत्ता संदत्त किया गया है, सूचकांक में, चार अंक की कमी होती है तो महंगाई भत्ते का अधोगामी पुनरीक्षण होगा। अधोगामी पुनरीक्षण पर, यदि ऐसा चालू औसत अंक ऊपर श्रृंखला में का कोई अंक है तो संदेय ऊपर महंगाई भत्ता उस चालू औसत अंक के समरूप होगा और यदि ऐसा चालू औसत अंक ऊपर श्रृंखला में का कोई अंक नहीं है तो संदेय महंगाई भत्ता ऊर्ध्वगामी श्रृंखला में के उस अंक के समरूप होगा जो चालू औसत अंक से ठीक पहले है।
- (3) इंडियन लेबर जर्नल या भारत का राजपत्र, इनमें जो भी प्रकाशन पूर्वतर उपलब्ध हो, में प्रकाशित औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960) के अंतिम आंकड़े, वह सूचकांक होगा जिसे महंगाई भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा।
- (4) किसी भी विशेष तिमाही के लिए चालू औसत अंक में बदलावों के अनुरूप महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण तिमाही के अंत के बाद केवल दूसरे उत्तरगामी मास से प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस मद के प्रयोजन के लिए, “तिमाही” से मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के मास के अंतिम दिन पर समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है।

IV. तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता. - (1) एक स्थायी कर्मचारी जो नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होता है या उत्तीर्ण कर चुका है उसे परीक्षा के नतीजों के प्रकाशन की तारीख या 1 अगस्त, 2022, जो भी पहले हो, से उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता संदेय होगा, अर्थात:-

सारणी

क्रम संख्या	परीक्षा	तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता (प्रति मास)
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय बीमा संस्थान या चार्टर्ड बीमा संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर:- (i) अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति (ii) उप सदस्यता (iii) अध्येतावृत्ति	915/- रुपए 2485/- रुपए 4245/- रुपए
2.	बीमांकक संस्थान:- प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर	915/- रुपए
3.	चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या लागत और संकर्म लेखा संस्थान: निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर:- i) इंटरमीडिएट परीक्षा ii) अंतिम समूह क या समूह ख iii) अंतिम समूह क और समूह ख	1780/- रुपए 3045/- रुपए 4245/- रुपए
4.	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संस्था से कारबार प्रशासन निष्णात पूर्ण करने पर (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित पाठ्यक्रम)	4245/- रुपए:

परंतु उसे एक से अधिक तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

- (2) तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते का अनुदान संबद्ध कर्मचारी की ज्येष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा।
- (3) जहां कर्मचारियों को उक्त किन्हीं परीक्षाओं में अर्हित होने के लिए पहले ही अग्रिम वेतन वृद्धि दी जा चुकी है, या कोई अन्य आवर्ती मौद्रिक फायदा दिया जा चुका है, वहाँ तकनीकी अर्हता भत्ते की रकम को उपयुक्त रूप से कम कर दिया जाएगा या उसे अनुज्ञेय नहीं हो सकेगा जो उसके द्वारा पहले से ही प्राप्त फायदे की मात्रा पर निर्भर करेगा।
- (4) अधिकतम वेतनमान पर पहुँचने के पश्चात एक वर्ष की सेवा के पूरी होने पर ऐसा कर्मचारी तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता प्राप्त करेगा जो पूरी दर के आधे से कम रकम की नहीं होगी और एक वर्ष की और सेवा के लिए उक्त तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता पूर्ण रूप से संदत्त किया जाएगा।
- (5) उपरोक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा उल्लिखित तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता या उसके किसी भाग को किसी भत्ते के या किसी सेवा या सेवांत फायदों के प्रयोजन के लिए गिना नहीं जाएगा।

V. स्नातक वेतनवृद्धि या भत्ता :

(1) **सहायक को स्नातक वेतनवृद्धि या भत्ता.** - 1 अगस्त, 2022 से, सहायक के वेतनमान में कर्मचारियों को स्नातक वेतनवृद्धियाँ या भत्ता निम्नानुसार प्रकार से संदत्त किया जाएगा:

(क) ऐसा कर्मचारी जिसे सहायक के वेतनमान में किसी पद पर नियुक्त या प्रोन्नत किया गया है और जिसने 1 जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात लेकिन 1 अगस्त, 2007 से पहले किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के रूप में अर्हता प्राप्त की है और वह अधिकतम वेतनमान पर नहीं पहुँचा है, उसे परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में प्रारंभ की तारीख से आगामी मास के पहले दिन या सहायक के वेतनमान में नियुक्ति की तारीख से, इन में जो पश्चात् का हो, वेतनमान में दो वेतनवृद्धियाँ अनुदत्त की जाएंगी,

परंतु यह कि उसने ऐसा स्नातक अर्हित होने के कारण पहले से ही वेतनवृद्धि या अर्हता वेतन प्राप्त नहीं किया हो या भूतपूर्व सैनिकों को अनुदत्त परिलाब्धियों के संरक्षण के रूप में दिए गए से अन्यथा नियुक्ति पर कोई अग्रिम वेतन वृद्धि नहीं ले रहा हो।

परंतु यह कि और स्नातक के लिए वेतनवृद्धि का हकदार कोई कर्मचारी, मूल वेतन के रूप में 96815/- रुपए का आहरण कर रहा है, तो उसे स्नातक के लिए केवल एक वेतनवृद्धि अनुदत्त की जाएगी;

(ख) सहायक के वेतनमान में कोई कर्मचारी, जिसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 1 अगस्त, 2007 के पूर्व स्नातक के रूप में अर्हित है और अधिकतम वेतनमान पर पहुँच गया है, उसे नीचे के सारणी में विनिर्दिष्ट अनुसार 1 अगस्त, 2022 से पुनरीक्षित स्नातक भत्ता संदत्त किया जाएगा:-

(ग) स्नातक भत्ता, या उसके किसी भाग को किसी भत्ते के प्रयोजनों के लिए या किसी सेवा या सेवांत फायदों के लिए गिना नहीं जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या	प्रक्रम	1 अगस्त, 2022 से प्रति मास पुनरीक्षित स्नातक भत्ता
(1)	(2)	(3)
1.	अधिकतम वेतनमान पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात	1370/- रुपए
2.	अधिकतम वेतनमान पर पहुँचने के दो वर्ष पश्चात	2680/- रुपए

(2) **अभिलेख लिपिकों को स्नातक भत्ता.** - अभिलेख लिपिक के वेतनमान में कर्मचारी को, जिसने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 1 अगस्त, 2007 से पूर्व स्नातक के रूप में अर्हता प्राप्त की है, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या अभिलेख लिपिक के रूप में प्रोन्नति की तारीख से या 1 अगस्त, 2022 से, इनमें से जो भी बाद में हो, 1245/- रुपए प्रति मास का स्नातक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

टिप्पण : अभिलेख लिपिक के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता न तो विशेष भत्ते के रूप में और न ही किसी प्रयोजन के लिए मूल वेतन के रूप में समझा जाएगा या गिना जाएगा और यह कर्मचारी की प्रोन्नति पर वापस ले लिया जाएगा।

VI. मकान किराया भत्ता. - (1) 1 अगस्त, 2022 से पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द को संदेय मकान किराया भत्ता, नीचे सारणी में दर्शित अनुसार होगा:-

सारणी

क्रम संख्या	तैनाती का स्थान	प्रति मास दर
(1)	(2)	(3)
1.	मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव नगर।	अधिकतम 13,000/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का दस प्रतिशत प्रति मास ।
2.	बारह लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर सिवाय क्रम संख्या 1 में उल्लिखित नगर, और गोवा राज्य में सभी नगर।	न्यूनतम 2,500/- रुपए और अधिकतम 11,000/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का आठ प्रतिशत प्रति मास ।
3.	अन्य सभी स्थान।	न्यूनतम 2,400/- रुपए और अधिकतम 10,500/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का सात प्रतिशत प्रति मास ।

टिप्पण 1: इस मद के प्रयोजनों के लिए, जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे।

टिप्पण 2: शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी शामिल होंगी।

टिप्पण 3: “वेतन” से मूल वेतन और पैरा 7 के उप-पैरा (2) में यथा उपबंधित वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।

टिप्पण 4: पैरा 18 के अधीन स्थानांतरण और गतिशीलता नीति के अधीन स्थानांतरित कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का संदाय, उक्त पैरा के उप-पैरा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अध्याधीन होगा।

(2) ऐसे कर्मचारी, जिन्हें आवासीय सुविधा या स्टाफ क्वार्टर आवंटित किए गए हैं, किसी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे किंतु वे ऐसी सुविधाओं के लिए निगम या कंपनी को निगम या कंपनी के बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जा सकने वाली समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे:

परंतु यह कि ऐसा कर्मचारी जिसे आवासीय सुविधा या स्टाफ क्वार्टर 1 अप्रैल, 1983 से पूर्व आवंटित किया गया है और जो उक्त स्कीम की चौथी अनुसूची के मद 4 के निबंधनों में साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती तारीख को, मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहा है, जब तक वह निगम या कंपनी द्वारा आवंटित किए हुए उसी आवासीय सुविधा या स्टाफ क्वार्टर का अधिभोग करना जारी रखता है, ऐसा मकान किराया भत्ता प्राप्त करता रहेगा।

VII. नगर प्रतिकर भत्ता. - 1 अगस्त, 2022 से पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द को संदेय नगर प्रतिकर भत्ता नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट होगा:-

सारणी

क्रम संख्या	तैनाती का स्थान	प्रति मास दर
(1)	(2)	(3)
1	मेट्रो शहर: मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव।	अधिकतम 2600/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का तीन प्रतिशत प्रति मास।
2	क श्रेणी 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर सिवाय क्रम संख्या 1 में उल्लिखित नगर, और गोवा राज्य में सभी नगर।	अधिकतम 2500/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5 प्रतिशत प्रति मास।
3	ख श्रेणी: 5 लाख और उससे ऊपर और 12 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर, 12 लाख तक की जनसंख्या वाली राज्य राजधानियाँ, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर।	अधिकतम 2100/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का दो प्रतिशत प्रति मास।
4	(ग श्रेणी) अन्य सभी नगर	शून्य।

टिप्पण 1: इस मद के प्रयोजन के लिए, जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे।

टिप्पण 1: शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी शामिल होंगी।

टिप्पण 1: “वेतन” से मूल वेतन और पैरा 7 के उप-पैरा (2) में यथा उपबंधित वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।

टिप्पण 1: पैरा 18 के अधीन स्थानांतरण और गतिशीलता नीति के अधीन स्थानांतरित कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ते का संदाय, उक्त पैरा के उप-पैरा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन होगा।

VIII. पर्वतीय स्थान भत्ता. - साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में प्रारंभ की तारीख के आगामी मास की पहली तारीख से पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा:-

सारणी

क्रम संख्या	तैनाती का स्थान	प्रति मास दर
(1)	(2)	(3)
1.	औसत समुद्र तल से 1500 मीटर और अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात।	अधिकतम 1650/- रुपए के अधीन रहते हुए मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत प्रति मास।
2.	समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों, मर्करा पर तथा ऐसे स्थानों पर तैनात, जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा	अधिकतम 1305/- रुपए के अधीन रहते हुए मूल वेतन का दो प्रतिशत प्रति मास।

	उनके कर्मचारियों के लिए 'पर्वतीय स्थानों' के रूप में घोषित किया गया है।	
3.	समुद्र तल से 750 मीटर से अन्यून की ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थानों पर जो समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और उन्हीं पहाड़ियों में से होकर वहाँ तक पहुंचा जा सकता है, तैनात हैं।	अधिकतम 1305/- रुपए के अधीन रहते हुए मूल वेतन का दो प्रतिशत प्रति मास।

टिप्पण : 'मूल वेतन' के अंतर्गत वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ आती हैं, यदि पैरा 7 के उप-पैरा (2) में यथा उपबंधित हैं।

IX. किट भत्ता. - साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में प्रारंभ की तारीख से आगामी मास के पहले दिन से, कर्मचारियों जिनको किसी ऐसे पर्वतीय स्थान पर स्थानांतरित किया गया है जो मद 8 में सूचीबद्ध है, 3700/- रुपए किट भत्ता संदत्त किया जाएगा। किट भत्ता एक पर्वतीय स्थान से दूसरे पर्वतीय स्थान पर स्थानांतरित होने पर संदेय नहीं होगा यदि ऐसा भत्ता पिछले तीन वर्ष के दौरान किसी भी समय लिया गया है।

X. नियत व्यक्तिगत भत्ता. - 1 अगस्त, 2022 से, कर्मचारियों को कम्प्यूटरीकरण के मद्दे संदेय नियत व्यक्तिगत भत्ता, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट अनुसार पुनरीक्षित होगा, अर्थात:-

सारणी

क्रम संख्या	वेतनमान में आने वाले कर्मचारी (1 नवम्बर, 1993 को)	पुनरीक्षित नियत व्यक्तिगत भत्ता (एफपीए)
(1)	(2)	(3)
1.	ज्येष्ठ सहायक	4050 रुपए
2.	आशुलिपिक	4050 रुपए
3.	सहायक, आदि	4050 रुपए
4.	अभिलेख लिपिक	2560 रुपए
5.	चालक	1880 रुपए
6.	अन्य अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द	1880 रुपए

टिप्पण: पुनरीक्षित नियत व्यक्तिगत भत्ता, जो कि ऊपर सारणी में उपबंधित है, मकान किराया भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान और अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजन के लिए मूल वेतन माना जाएगा।

XI. परिवहन भत्ता. - 1 अगस्त, 2022 से, प्रत्येक संपुष्ट कर्मचारी को 1200/- रुपए प्रति मास परिवहन भत्ता संदत्त होगा।

XII. पारादीप पत्तन भत्ता. - साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2026 के राजपत्र में प्रारंभ की तारीख के आगामी मास के पहले दिन या नियुक्ति की तारीख, जो भी पश्चात् में हो, के प्रभाव से, पारादीप पोर्ट

में कंपनी के कार्यालय में तैनात प्रत्येक संपुष्ट कर्मचारी को 440/- रुपए प्रति मास का भत्ता संदत्त होगा, जब तक वे उस कार्यालय में तैनात हैं। यह भत्ता किसी भी प्रयोजन के लिए मूल वेतन नहीं समझा जाएगा।"

[फा. सं. एम-16014/01/2023-बीमा-I]

आशीष माधवराव मोरे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण), स्कीम, 1974, अधिसूचना संख्या का.आ. 326(अ), तारीख 27 मई, 1974 द्वारा भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3345(अ), तारीख 26 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

स्पष्टीकारक ज्ञापन: साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण), स्कीम, 1974 को स्कीम में विनिर्दिष्ट तारीखों से संशोधित किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के द्वारा निगम या कंपनी के किसी भी कर्मचारी के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2026

S.O. 718(E).—In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974, namely: -

1. (1) **Short title, commencement and application.** —This scheme may be called the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026.

(2) This scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2022.

(3) This scheme shall be applicable to all employees who were in whole-time service in Supervisory, Clerical and Subordinate Staff cadres of the Corporation or Company as on, or after, the 1st day of August, 2022:

Provided that the employees whose resignations had been accepted or whose services had been terminated during the period from the 1st day of August, 2022 till the date of publication of this scheme, shall not be eligible for the arrears on account of revision under this scheme.

(4) Nothing contained in this scheme shall entitle an employee to claim Overtime Allowance higher than what he had been entitled prior to the publication of this scheme.

2. In the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 3, after clause (fh), the following clauses shall be inserted, namely: -

‘(fi) “fourth rationalised scales of pay” means the scales of pay as specified in the Twelfth Schedule;

(fj) “fourth rationalised terms” means the scales of pay and allowances as specified in the Twelfth Schedule;’.

3. In the said Scheme, in paragraph 4, after sub-paragraph (19), after the Explanation, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely: -

“(20) With effect from the 1st day of August, 2022, the pay and allowances of every employee shall be in accordance with the fourth rationalised terms. The basic salary of every employee in service as on that date and of every employee appointed after that date but before the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, shall be in accordance with the fourth rationalised scales of pay as provided in paragraph 6J.

(21) Every employee whose basic salary is fixed in the fourth rationalised scales of pay in accordance with the provisions of paragraph 6J of this scheme shall be paid, from the date of fixation in the fourth rationalised scales of pay, for the period commencing from the 1st day of

August, 2022 or the date of his appointment or the date from which he opts to be governed by the provisions of General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, whichever is later, the difference of Basic Salary, Personal Pay, if any, Dearness Allowance and other allowances (after deducting the employee's compulsory contribution to the Provident Fund or New Pension Scheme), between the fourth rationalised terms and third rationalised terms applicable to him:

Provided that –

(a) an employee who had retired from service after the 1st day of August, 2022 shall be paid the difference in the amount, for the period up to the date of his retirement along with the difference in the amount of gratuity, if any, arising out of this scheme;

(b) in the case of an employee who had died whilst in service on or after the 1st day of August, 2022, the difference in the amount, as specified for the period upto the date of his death shall be paid to the person to whom his Provident Fund was paid or is to be paid and the difference in the amount of gratuity, if any, arising out of this scheme shall be paid to the person to whom his gratuity was paid or is to be paid:

Provided further that in respect of an employee who is promoted from Supervisory, Clerical and Subordinate Staff cadre to the cadre of officer or converted as Development Officer on or after the 1st day of August, 2022, the difference in the amount (excluding the difference in gratuity amount) up to the date of his promotion as officer or conversion as Development Officer, shall be paid on the basis of notional fixation of his basic salary in the fourth rationalised terms.

Explanation. - For the purposes of this sub-paragraph, the expression “other allowances” means House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, Functional Allowance, Hill Station Allowance, Graduation Allowance, Allowance for Technical Qualification, Transport Allowance, Paradeep Port Allowance, and Fixed Personal Allowance as admissible to an employee.”.

4. In the said Scheme, after paragraph 6 I, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“6J. Fixation of Basic Salary in the fourth rationalised scales of pay and allowances.— (1)

The scales of pay and other allowances in case of every employee in service as on the 1st day of August, 2022, and continuing to be in service on or after the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, shall be in accordance with the fourth rationalised terms from a date not earlier than, -

- (i) the 1st day of the month following the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, for Hill Station Allowance, Kit Allowance, Functional Allowance for Audit Assistants and Paradeep Port Allowance; and
- (ii) the 1st day of August, 2022, for Basic Salary and other allowances.

(2) The scales of pay and allowances in case of every employee to whom this scheme applies, shall be in accordance with the fourth rationalised terms from a date not earlier than the date mentioned in sub-paragraph (1) or the date of appointment, whichever is later.

- (3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (1) and (2), an employee may choose that the scales of pay and other allowances may be fixed in his case in accordance with Table 'A' or 'B', as the case may be, of item I of the Twelfth Schedule, with effect from the dates mentioned in sub-paragraph (1) or any later date but on or before the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, in which case, he shall intimate such choice in writing to the Corporation or Company, as the case may be, within a period of thirty days.

Provided that no arrears shall be payable to such employee for the period from the 1st day of August, 2022 to the date so chosen:

Provided further that while calculating the arrears from the 1st day of August, 2022 to the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, if the net difference between the third rationalised total monthly emoluments after deducting Provident Fund or New Pension Scheme and the fourth rationalised total monthly emoluments after deducting Provident Fund is negative, the same shall be ignored.”.

5. In the said Scheme, in paragraph 11, in the *Explanation*, after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely: -

“(viii) for the period commencing from the 1st day of August, 2022, shall be computed with reference to the fourth rationalised terms.”.

6. In the said Scheme, in paragraph 11A, before the *Explanation*, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that with effect from the 1st day of August, 2022, contribution by the Corporation or the Company, as the case may be, to the Fund for the New Pension Scheme, shall be fourteen per cent. of the Basic salary plus Dearness Allowance.”.

7. In the said Scheme, after the Eleventh Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely: -

“TWELFTH SCHEDULE
[See paragraph 3 (fi) and (fj)]

I. Fourth rationalised Scales of Pay:

(A) Supervisory and Clerical Staff

- (1) Senior Assistant
Rs. 50815-3640(4)-65375-4050(15)-126125
- (2) Stenographer
Rs 50815-3640(4)-65375-4050(15)-126125
- (3) Assistant, Typist, Telephone Operator, Telex Operator, Receptionist, Punch Card Operator, Unit Record Machine Operator, Comptist and other equivalent posts
Rs.36290-2115(1)-38405-2310(2)-43025-2600(5)-56025-3005(2)-62035-3660(3)-73015-3800(2)-80615-4050(5)-100865
- (4) Record Clerk
Rs.33670-1460(2)-36590-1565(5)-44415-1670(1)-46085-1875(2)-49835-2065(3)-56030-2300(5)-67530-2560(9)-90570

(B) Subordinate Staff

- (1) Driver
Rs. 33670-1460(2)-36590-1515(14)-57800-1670(2)-61140-1880(9)-78060
- (2) Other Subordinate Staff
Rs. 29320-1200(5)-35320-1275(8)-45520-1515(1)-47035-1570(2)-50175-1880(9)-67095

Fixation of basic salary and stagnation stages shall be as specified in the following Tables, namely: -

Table – A
Fixation of Basic Salary

(Figures in Rupees)

Senior Assistant or Stenographer		Assistant		Record Clerk		Driver		Other Subordinate Staff	
Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary
31370	50815	22405	36290	20785	33670	20785	33670	18100	29320
33615	54455	23710	38405	21685	35130	21685	35130	18840	30520
35860	58095	25135	40715	22585	36590	22585	36590	19580	31720
38105	61735	26560	43025	23550	38155	23520	38105	20320	32920
40350	65375	28165	45625	24515	39720	24455	39620	21060	34120
42850	69425	29770	48225	25480	41285	25390	41135	21800	35320
45350	73475	31375	50825	26445	42850	26325	42650	22585	36595
47850	77525	32980	53425	27410	44415	27260	44165	23370	37870
50350	81575	34585	56025	28440	46085	28195	45680	24155	39145

(Figures in Rupees)

Senior Assistant or Stenographer		Assistant		Record Clerk		Driver		Other Subordinate Staff	
Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary
52850	85625	36440	59030	29595	47960	29130	47195	24940	40420
55350	89675	38295	62035	30750	49835	30065	48710	25725	41695
57850	93725	40555	65695	32025	51900	31000	50225	26510	42970
60350	97775	42815	69355	33300	53965	31935	51740	27295	44245
62850	101825	45075	73015	34575	56030	32870	53255	28080	45520
65350	105875	47420	76815	35995	58330	33805	54770	29015	47035
67850	109925	49765	80615	37415	60630	34740	56285	29985	48605
70350	113975	52265	84665	38835	62930	35675	57800	30955	50175
72850	118025	54765	88715	40255	65230	36705	59470	32115	52055
75350	122075	57265	92765	41675	67530	37735	61140	33275	53935
77850	126125	59765	96815	43255	70090	38895	63020	34435	55815
		62265	100865	44835	72650	40055	64900	35595	57695
				46415	75210	41215	66780	36755	59575
				47995	77770	42375	68660	37915	61455
				49575	80330	43535	70540	39075	63335
				51155	82890	44695	72420	40235	65215
				52735	85450	45855	74300	41395	67095
				54315	88010	47015	76180		
				55895	90570	48175	78060		

Table - B
Fixation of Basic Salary – Stagnation Stages
[see paragraph 7(2)]

(Figures in Rupees)

Senior Assistant or Stenographer		Assistant	
Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary
80350	130175	64765	104915
82850	134225	67265	108965
85350	138275	69765	113015
87850	142325	72265	117065
90350	146375	74765	121115
92850	150425	77265	125165
		79765	129215

Note 1: The basic salary of every employee in service as on the 1st day of August, 2022, and who continues to be in service after the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, shall be fixed at the corresponding stage in the respective fourth rationalised scale of pay with effect from the 1st day of August, 2022 or the date of option, whichever is later.

Note 2: The basic salary of every employee appointed after the 1st day of August, 2022, and who continues to be in service after the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, shall be fixed at the corresponding stage in the respective fourth rationalised scale of pay with effect from the date of his appointment or date of option, whichever is later.

Note 3: The basic salary of every employee who was in service on or after the 1st day of August, 2022, and who retired or died on or before the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, shall be fixed at the corresponding stage in the respective fourth rationalised scale of pay with effect from the 1st day of August, 2022 or the date of his appointment, whichever is later:

Provided that in respect of the employees in the scale of Assistant, who have already been granted as on the 31st day of July, 2022, one, two, three, four, five, six or seven stagnation increments, in the third rationalised scales of pay, their basic salary in the relevant fourth rationalised scale of pay shall be fixed at the corresponding first, second, third, fourth, fifth, sixth or seventh stage above the maximum of the fourth rationalised scale:

Provided further that in respect of the employees in the scale of Senior Assistant or Stenographer, who have already been granted as on the 31st day of July, 2022, one, two, three, four, five or six stagnation increments, in the third rationalised scale of pay, their basic salary in the relevant fourth rationalised scale of pay shall be fixed at the corresponding first, second, third, fourth, fifth or sixth stage above the maximum of the fourth rationalised scale.

II. FUNCTIONAL ALLOWANCES. — (1) With effect from the 1st day of August, 2022, the employees performing the following functions shall be paid Functional Allowances as under:

1.	Subordinate Staff engaged in either as Key Holder or for carrying cash to or from Bank, as his regular and main function, where the amount of cash carried during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000/- or more.	Rs. 1650/- per month
2.	Other Subordinate Staff working as Liftmen, Machine Operators, Head Peons, Jamadars, Daftaries, AC Plant Operators and Heavy Vehicle Drivers, who were assigned these functions before 1 st day of January, 2006.	Rs. 165/- per month
3.	Assistant or Senior Assistant, in the event of non-availability of Assistant engaged in handling cash in an office, as his regular and main function, where the amount of cash transactions during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000/- or more.	Rs. 3450/- per month

4.	Telex Operators, Punch Card Operators, Unit Record Machine Operators and Comptists, who were assigned these functions before 1 st day of January, 2006.	Rs. 60/- per month
5.	Stenographer to Chairman-cum-Managing Director, Executive Directors, Scale VII, Scale VI and equivalent positions.	Rs. 75/- per month

(2) With effect from the 1st day of the month following commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, the employees performing the functions of Audit Assistants shall be paid Functional Allowance at the rate of Rs. 2515/- per month.

Note 1: The number and names of persons eligible to draw the Functional Allowance shall be determined by the Chairman-cum-Managing Director or by an officer authorised by him in this behalf, depending upon the load of work and administrative requirements.

Note 2: An employee shall draw only one Functional Allowance at a time.

Note 3: An employee proceeding on leave shall be paid the Functional Allowance during his leave period other than periods of extra ordinary leave:

Provided that he resumes work in the same position on the expiry of his leave.

Note 4: No employee shall, as a matter of right, claim to be allotted a particular portfolio of work in order to avail of the Functional Allowance attaching to that position or post.

Note 5: No employee shall refuse to work in a position carrying a Functional Allowance or make it a condition that he be paid such allowance where, because of absence of the incumbent or temporary pressure of work, the employee is assigned such work by the Head of his Office.

Note 6: Functional Allowance or any part thereof, shall not be treated as part of basic salary and shall not be counted for the purpose of any allowance or for the purpose of any other service or terminal benefits.

III. DEARNESS ALLOWANCE. — (1) The scale of dearness allowance applicable to the employees shall be determined as under:

Index: All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers

Base: Index No.8456 in the series 1960 = 100

Rate of Dearness Allowance: For every four points in the quarterly average over 8456 points, the Dearness Allowance shall be calculated at the rate of 0.06 per cent. of Basic Pay.

Revision of dearness allowance: Revision of dearness allowance shall be made on quarterly basis for every four points rise or fall.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 1960) above 8456 points in the sequence 8456-8460-8464-8468 and so on and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence and if such current average figure is not a figure in the above sequence, the dearness

allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence immediately preceding the current average figure.

(3) The final figures of All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 1960), as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(4) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Explanation. - For the purposes of this item, "quarter" shall mean a period of three months ending on the last day of the month of March, June, September or December.

IV. ALLOWANCE FOR TECHNICAL QUALIFICATIONS. — (1) A confirmed employee, who qualifies or has qualified in an examination mentioned in column (2) of the Table below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination or the 1st day of August, 2022, whichever is later, the allowance for technical qualifications mentioned in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

Serial number	Examination	Allowance for technical qualification (per month)
(1)	(2)	(3)
1.	Insurance Institute of India or Chartered Insurance Institute: On completion of: (i) Licentiate (ii) Associateship (iii) Fellowship	Rs.915/- Rs.2485/- Rs.4245/-
2.	Institute of Actuaries: On passing each subject	Rs.915/-
3.	Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accountant: On completion of: (i) Intermediate Examination (ii) Final Group A or Group B (iii) Final Group A and Group B	Rs.1780/- Rs.3045/- Rs.4245/-
4.	On completion of Master of Business Administration from a recognised University or institution (All India Council for Technical Education approved course)	Rs.4245/-:

Provided that not more than one allowance for technical qualification shall be permissible to him.

(2) The grant of allowance for technical qualifications shall not affect the seniority of the employee concerned.

(3) Where the employee has already been given an advance increment or any other recurring monetary benefit for having qualified in any of the said examinations, the amount of allowance for technical qualification shall be suitably reduced or may not be admissible depending on the quantum of benefit already received.

(4) Such employee on completion of service of one year after reaching the maximum of the scale shall receive the allowance for technical qualification amounting to not less than one-half of the full rate and after a further service of one year, the said allowance for technical qualification shall be paid in full.

(5) The allowance for technical qualification as mentioned in column (3) of the Table above, or any part thereof, shall not be counted for the purpose of any allowance or for any service or terminal benefit.

V. GRADUATION INCREMENT OR ALLOWANCE:

(1) Graduation increments or Allowance to Assistant. — With effect from the 1st day of August, 2022, the Graduation Increments or Allowance to employees in the scale of Assistant shall be paid as under:

- (a) an employee who is appointed or promoted to any post in the scale of Assistant and who has qualified as a Graduate of a recognised University on or after the 1st day of January 1973 but before the 1st day of August 2007, and has not reached the maximum of the scale shall be granted two increments in the scale with effect from the publication of results of the examination, or 1st day of the month following the commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, or the date of appointment in the scale of Assistant, whichever is later:

Provided that he has not already received graduation increment or qualification pay for having qualified as such graduate or any advance increment on appointment, otherwise than by way of protection of emoluments granted to ex-servicemen:

Provided further that if an employee entitled to increments for graduation is drawing Basic Salary of Rs 96815/-, only one increment for graduation shall be granted to him;

- (b) an employee in the scale of Assistant who has qualified as a graduate from a recognised University before the 1st day of August, 2007 and has reached the maximum of the scale shall be paid revised Graduation Allowance with effect from the 1st day of August, 2022, as specified in the Table below:
- (c) The Graduation Allowance, or any part thereof, shall not be counted for the purposes of any Allowance or for any service or terminal benefit.

TABLE

Serial number	Stage	Graduation Allowance per month with effect from 1 st August, 2022
(1)	(2)	(3)
1.	One year after reaching the maximum of the scale	Rs.1370/-
2.	Two years after reaching the maximum of the scale	Rs.2680/-

(2) Graduation Allowance to Record Clerks. — An employee in the scale of Record Clerk, who has qualified as Graduate from a recognised University before the 1st day of August, 2007 shall be paid Graduation Allowance of Rs.1245/- per month with effect from the date of publication of results of the examination or from the date of promotion as Record Clerk or the first day of August, 2022, whichever is later.

Note: The Graduation Allowance payable to employees in the scale of Record Clerk shall not be treated as Special Allowance nor shall it be treated or counted as Basic Salary for any purpose and it shall be withdrawn on promotion of the employee.

VI. HOUSE RENT ALLOWANCE. — (1) With effect from the 1st day of August, 2022, House Rent Allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be as specified in the Table below: -

TABLE

Serial number	Place of posting	Rate per month
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon.	Ten per cent. of pay, subject to maximum of Rs.13,000/- per month.
2.	Cities with population exceeding twelve lacs, except cities mentioned at serial number 1, and all cities in the State of Goa.	Eight per cent. of pay, subject to minimum of Rs.2,500/- and maximum of Rs.11,000/- per month.
3.	All other places.	Seven per cent. of pay, subject to minimum of Rs.2,400/- and maximum of Rs.10,500/- per month.

Note 1: For the purposes of this item, the population figure shall be those in the latest census report.

Note 2: Cities shall include their urban agglomerations.

Note 3: "Pay" means basic salary and stagnation increments as provided in sub-paragraph (2) of paragraph 7.

Note 4: Payment of House Rent Allowance to employees transferred under the Transfer and Mobility Policy under paragraph 18 shall be subject to clause (c) of sub-paragraph (1) of the said paragraph.

(2) Employees, who are allotted residential accommodation or staff quarters, shall not be entitled to any House Rent Allowance, but they shall pay to the Corporation or Company, for such accommodation, the appropriate license fee, as may be decided by the Board of the Corporation or Company from time to time:

Provided that an employee who has been allotted residential accommodation or staff quarters before the 1st day of April, 1983, and who has been in receipt of House Rent Allowance as on date immediately preceding the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, in terms of item VI of the Fourth Schedule of the said Scheme shall continue to receive such House Rent Allowance so long as he continues to occupy the same residential accommodation or staff quarters allotted by the Corporation or Company.

VII. CITY COMPENSATORY ALLOWANCE. — With effect from the 1st day of August 2022, the City Compensatory Allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be as specified in the Table below:

TABLE

Serial number	Place of posting	Rate per month
(1)	(2)	(3)
1.	Metro Cities: Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon.	Three per cent. of pay, subject to maximum of Rs.2600/- per month.
2.	A Class: Cities with population exceeding twelve lacs, except cities mentioned at serial number 1, and all cities in the State of Goa.	2.5 per cent. of pay, subject to maximum of Rs.2500/- per month.
3.	B Class: Cities with population of five lacs and above but not exceeding twelve lacs, State capitals with population not exceeding twelve lacs, Chandigarh, Mohali, Panchkula, Pondicherry and Port Blair.	Two per cent. of pay, subject to maximum of Rs.2100/- per month.
4.	C Class: All other cities.	Nil

Note 1: For the purposes of this item, the population figure shall be those in the latest census report.

Note 2: Cities shall include their urban agglomerations.

Note 3: "Pay" means basic salary and stagnation increments as provided in sub-paragraph (2) of paragraph 7.

Note 4: Payment of City Compensatory Allowance to employees transferred under the Transfer and Mobility Policy under paragraph 18 shall be subject to provisions of clause (c) of sub-paragraph (1) of the said paragraph.

VIII. HILL STATION ALLOWANCE. — With effect from the 1st day of the month following the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, the Hill Station Allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be as specified in the Table below:

TABLE

Serial number	Place of posting	Rate per month
(1)	(2)	(3)
1.	Posted at places situated at a height of 1500 metres and over above mean sea level.	2.5 per cent. of Basic Salary subject to maximum of Rs.1650/- per month.
2.	Posted at places situated at a height of 1000 metres and over, but less than 1500 metres above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as Hill Stations by the Central or State Governments for their employees.	Two per cent. of Basic Salary subject to maximum of Rs.1305/- per month.
3.	Posted at places situated at a height of not less than 750 meters above mean sea level which are surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 metres and over above mean sea level	Two per cent. of Basic Salary subject to a maximum of Rs. 1305/- per month.

Note: Basic Salary includes stagnation increments, if any, as provided in sub-paragraph (2) of paragraph 7.

IX. KIT ALLOWANCE. — With effect from the 1st day of the month following the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, employees transferred to any of the hill stations listed in item VIII shall be paid a Kit Allowance of Rs.3700/-. The Kit Allowance shall not be payable on transfer from one hill station to another if the same was drawn at any time during the preceding three years.

X. FIXED PERSONAL ALLOWANCE. — With effect from the 1st day of August, 2022, the Fixed Personal Allowance payable to employees on account of computerisation shall stand revised as specified in the Table below:

TABLE

Serial number	Employees in the Scale of Pay (as on the 1 st November, 1993)	Revised Fixed Personal Allowance (FPA)
(1)	(2)	(3)
1.	Senior Assistant	Rs. 4050
2.	Stenographer	Rs. 4050
3.	Assistant, etc.	Rs. 4050
4.	Record Clerk	Rs. 2560
5.	Driver	Rs. 1880
6.	Other Subordinate Staff	Rs. 1880

Note: The revised Fixed Personal Allowance as provided in the Table above shall reckon as Basic Pay for the purpose of House Rent Allowance, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Earned Leave.

XI. TRANSPORT ALLOWANCE. — With effect from the 1st day of August, 2022, every confirmed employee shall be paid Transport Allowance at the rate of Rs. 1200/- per month.

XII. PARADEEP PORT ALLOWANCE. — With effect from the 1st day of the month following the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2026, or date of appointment, whichever is later, every confirmed employee posted in the office of the Company in Paradeep Port shall be paid an allowance of Rs. 440/- per month so long as he is posted in that office. This allowance shall not be treated as basic salary for any purpose.”.

[F No. M-16014/01/2023 Ins.I]

ASHISH MADHAORAO MORE, Jt. Secy.

Note: - The General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 326 (E), dated the 27th May, 1974 and was last amended *vide* number S.O. 3345(E), dated the 26th July, 2023.

Explanatory Memorandum

The General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 is amended from the date specified in the scheme. It is certified that no employee of the corporation or company is likely to be affected adversely by giving the retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2026

का.आ. 719(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम की विरचना करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2026 है।
(2) यह स्कीम राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
2. साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 में, परिशिष्ट 5 में पैरा (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(च) सामान्य कुटुंब पेंशन की दर, कर्मचारियों के वेतनमान पर विचार किए बिना, निम्नानुसार होगी, अर्थात्:-

‘वेतन’ का तीस प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन होगी साथ ही भत्ते का तीस प्रतिशत जो भविष्य निधि में अभिदाय करने के लिए गिना जाता है, किंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं गिना जाता है, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी, बशर्ते कि-

पैरा (क) के अधीन आने वाले कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए 375 रुपये प्रति मास की न्यूनतम कुटुंब पेंशन लागू हो; पैरा (ख) के अधीन आने वाले कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए 720 रुपये प्रति मास की न्यूनतम कुटुंब पेंशन लागू हो; पैरा (ग) के अधीन आने वाले कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए 1100 प्रति मास लागू हो।

न्यूनतम कुटुंब पेंशन जो निगम या कंपनी द्वारा समय-समय पर पैरा (ड) के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित हो।”

[फा. सं. एम-16014/01/2023-बीमा-I]

आशीष माधवराव मोरे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995, अधिसूचना संख्यांक का.आ.585 (अ), तारीख 28 जून, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ.3470 (अ), तारीख 28 जुलाई, 2025 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2026

S.O. 719(E).—In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following scheme further to amend the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, namely: —

1. (1) This scheme may be called the General Insurance (Employees') Pension (Amendment) Scheme, 2026.

(2) This Scheme shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, in Appendix V, after paragraph (e), the following paragraph shall be inserted, namely: —

“(f) The rate of ordinary family pension, irrespective of the scale of pay of the employees, shall be the following, namely: —

Thirty per cent. of the ‘pay’ shall be the basic family pension plus thirty per cent. of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be additional family pension, subject to —

Minimum family pension of Rs. 375 per month applicable for family pensioners falling under paragraph (a);
Minimum family pension of Rs. 720 per month applicable for family pensioners falling under paragraph (b);
Minimum family pension of Rs. 1100 per month applicable for family pensioners falling under paragraph (c);
Minimum family pension as determined by the Corporation or the Company from time to time under the provisions of paragraph (e)”.

[F.No. M-16014/01/2023 Ins.]

ASHISH MADHAORAO MORE, Jt. Secy.

Note: The General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O.585 (E), dated the 28th June, 1995 and was last amended vide notification number S.O. 3470 (E), dated the 28th July, 2025.